आधुनिक भारत में शिक्षा

आधुनिक भारत में शिक्षा

आधुनिक भारत में शिक्षा

तथा पाठ्यपुस्तकों की भी समीक्षा करना था।

समीक्षा समिति की महत्वपूर्ण सिफारिशें

1. औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा

औपचारिक ~~तथा~~ शिक्षा के साथ अनौपचारिक शिक्षा अधिक मात्रा पर दी जानी चाहिए। ताकि सीखनेवाले अधिक से अधिक संख्या में शिक्षा का लाभ उठा सके। अनिवार्य शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इस प्रकार की व्यवस्था करना ही अधिक आवश्यक है।

2. लचीली शिक्षा व्यवस्था

पाठ्यक्रम इस प्रकार से बनाया जाय जिससे विविध स्तरों के शिक्षार्थी अपनी क्षमता तथा स्थिति के अनुसार शिक्षा ग्रहण कर सके।

3. सामाजिक रूप से लाभदायक उत्पादक कार्य

बेसिक शिक्षा शिक्षक के सिद्धान्तों को अपनाते हुए समीक्षा समिति ने इस बात पर बल दिया कि उत्पादक कार्य सामाजिक दृष्टि से लाभदायक होना चाहिए।

4. औपचारिक शिक्षण पर कम समय

कक्षा एक से पाँच तक औपचारिक शिक्षण की अवधि 2½ ढाई से तीन घंटे तक होनी चाहिए।

5. गृह कार्य पर प्रतिबन्ध

छात्रों को प्राथमिक स्तर पर घर के लिए काम देना बन्द किया जाना चाहिए। गृह कार्य के कारण छात्रों की एक बड़ी संख्या जीवन को आनन्द मय बनाने से वंचित रह जाती है।

6. विज्ञान तथा गणित में दो प्रकार के पाठ्यक्रम

इनविषयों में इस प्रकार के पाठ्यक्रम बनाया जाय जो अध्यापकों, उपकरणों तथा प्रयोगशालाओं की उपलब्धि के अनुसार हो और साथ ही छात्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखें।

7. सामाजिक विषय

समीक्षा समिति की दृष्टि में सामाजिक ज्ञान के नवीन पाठ्यक्रमों में से अर्थशास्त्र, वाणिज्य तथा मनोविज्ञान को अलग करके विषय को सरल बनाना चाहिए।

8. पाठ्यपुस्तकों के निर्माण में स्वतंत्रता

राष्ट्रीय शैक्षिक अनु-

संधान एवं प्रशिक्षण अध्यापक परिषद् केवल ~~अध्यक्ष~~ अनुदेशात्मक सामग्री के निर्माण पर अपना ध्यान केन्द्रित करें। राज्य सरकारें, परीक्षा परिषद विद्यालय तथा अन्य शैक्षिक संस्थायें अपनी आवश्यकतानुसार पाठ्यपुस्तकों का निर्माण करें।

9) सृजनात्मक तथा औपचारिक शिक्षा

शिक्षा संस्थाओं में इस प्रकार का वातावरण हो कि सृजनात्मक तथा औपचारिक शिक्षा को बढ़ावा मिले। तथा छात्र पर व्यक्तिगत ध्यान देने की व्यवस्था हो।

10) पाठ्य विषयों का वितरण

कक्षा में छात्रों को शिक्षा देने के लिए विषय के अनुसार अध्यापकों का नियुक्ति करनी चाहिए और सभी अध्यापक को समान रूप से कार्य करने के लिए मौका देनी चाहिए।

समीक्षा समिति की सिफारिशों का मूल्यांकन

गुण:

① बेसिक शिक्षा के सिद्धान्तों पर आधारित

समीक्षा समिति ने उचित ही सामाजिक दृष्टि से उत्पादक कार्य को शिक्षा का बिन्दु माना है। समीक्षा समिति ने इस उत्पादक कार्य की महत्व को स्वीकार करते हुए इसकी उपादेयता पर प्रकाश डाला और इस कार्य के कार्यान्वित के लिए निश्चित सुझाव दिया है और विस्तार से विश्लेषण किया है। इस बात पर बल दिया गया है कि छात्रों को कक्षा में तथा कक्षा से बाहर सामाजिक और उत्पादक कार्यों में भाग लेने के पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाय तभी वे आगे जाकर पुस्तकीय ज्ञान की रूढ़ीवादी ढंग से मुक्त हो सकेगा।

2) शिक्षा का जीवन से संबंध

शिक्षा का जीवन से संबंध जोड़ने के लिए इस बात पर बल दिया गया है कि विषयों को दैनिक अनुभवों से जोड़ ~~दिया~~ जाय। जहाँ संभव हो छात्रों की दैनिक समस्याओं के समाधान में ज्ञान का प्रयोग किया जाय। ज्ञान को व्यवहारिक बनाया जाय तथा उसे आसपास के वातावरण के सन्दर्भ में सीखने पर बल दिया जाय।

35

छात्रों को वैज्ञानिक, तकनीकी, सामाजिक तथा आर्थिक गतिविधियों से भली भाँति परिचित कराया जाय।

3) पाठ्यक्रम का लचीलापन (परिवर्तन)

स्कूल की विभिन्न क्रियाओं में लचीलेपन पर जोर दिया जाता है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि विद्यालयों का पाठ्यक्रम, स्थान, साधनों तथा छात्रों की योग्यता तथा रुचि के अनुसार हो क्योंकि छात्र इसका पूरा पूरा लाभ उठा जा सके।

4. वैज्ञानिक अध्ययन क्रमों का प्रावधान

समीक्षा समिति ने विभिन्न क्षमताओं वाले छात्रों के लिए उनकी आवश्यकताओं के अनुसार अध्ययन क्रम बनाने पर बल दिया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विज्ञान तथा हिसाब में वैयक्तिक कोर्सों का सुझाव दिया है।

5. पाठ्यक्रम में कटौती

नई शिक्षा प्रणाली के संबंध में यह धारणा थी कि पाठ्यक्रम बहुत बोझिल है और छात्र इसके बोझ से बहुत

पीड़ित है। छात्रों को अनेक विषय भी पढ़ाने पड़ते थे। समीक्षा समिति ने आवश्यक सामग्री ~~समिति के~~ को हटाने का सुझाव देकर छात्रों के साथ बहुत भलाई का काम किया है।

राष्ट्रीय आदिशेषय्या समीक्षा समिति -1978

राष्ट्रीय समीक्षा समिति का गठन

प्रस्तावना :- शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने अक्टूबर 1977 में श्री कास आदिशेषय्या उपकुलपति मद्रास विश्वविद्यालय की अध्यक्ष अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया।

इस राष्ट्रीय समीक्षा समिति ने अपने रिपोर्ट " सीखना - करने को - सीखते हुए तथा कार्यरत समाज के लिए"। शीर्षक से मार्च 1978 में भारत सरकार को प्रस्तुत की। इस समिति का कार्य क्षेत्र 10+2 पाठ्यक्रम के सुधार हेतु और विशेषकर उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण के लिए समस्याओं का समाधान करके सुझाव देना था।

+2 समीक्षा समिति की महत्वपूर्ण शिफारिश

① उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का महत्व

इस स्तर की शिक्षा का विशेष महत्व है क्योंकि छात्रों की

लगभग आयु संख्या के लिए औपचारिक शिक्षा का यह अंतिम बिन्दु है। इस स्तर पर सीखने के अनुभव विद्यार्थियों को जीविका के लिए और उनके जीवन के निर्माण में विशेष महत्व रखते है।

यह स्तर छात्रों के व्यक्तित्व के निर्माण हेतु स्कूली शिक्षा एवं महाविद्यालय के बीच सेतु का काम देता है। यह किशोरावस्था, बाल्य काल तथा प्रौढ़ काल के बीच का समय है। संभवत: यही ऐसी अवस्था है जिसमें अनेक प्रकार के क्षेत्रों, आध्यात्मिक एवं बौद्धिक विकास के मार्ग खुलते है। व्यक्तित्व की विशेष रुचियाँ, क्षमताओं आदि का सृजन एवं दमन होता है।

(२) उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के लक्ष्य

राष्ट्रीय विकास में योगदान के लिए इस स्तर के निम्न लिखित उद्देश्य है

1. बेरोजगारी को रोकने में सहायता देना।
2. निरक्षिता को रोकने में सहायता देना।
3. ग्रामीण विकास में सहायता देना।
4. प्रौढ़ साक्षरता में सहायता देना।

(3) उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के दो प्रकार के पाठ्यक्रम

1. सामान्य शिक्षा पाठ्यक्रम
इसमें निम्नलिखित विषय होंगे। भाषायें, सामाजिक दृष्टि से लाभदायक उत्पादक कार्य, वैकल्पिक विषय (3)

2. व्यवसायिक पाठ्यक्रम
इस पाठ्यक्रम में भी निम्नलिखित विषय होंगे सामान्य आधार पाठ्यविवरण, भाषा, वैकल्पिक विषय (व्यवसायिक)

(4) सामाजिक दृष्टि से लाभदायक उत्पादक कार्य

+2 समीक्षा समिति ने इस पर बल दिया कि क्रियात्मक विषय विषय को महत्व दिया है। इसे स्थानीय आवश्यकतानुसार अपनाने की शिफारिश की है। और यह भी कहा है कि इसे पाठ्यक्रमों के विषयों से जोड़ा जाय और यह कार्य उचित निर्देश में योजनानुसार किया जाय।

5. सामान्य आधार पाठ्य विवरण
इस पाठ्य विवरणों के निम्नलिखित लक्ष्य है
1. छात्रों को ग्राम विकास तथा स्वयं रोजगार की आवश्यकता का अनुभव कराना।
2. छात्रों को राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था में कृषि के महत्व की जानकारी देना।
3. छात्रों में लघु तथा कुटीर उद्योगों के चलाने की कुशलताओं एवं प्रबंध की योग्यताओं का विकास करना।
4. बेरोज़गार, क्षमता से निम्न रोजगार, आर्थिक व्यवस्था में छात्रों की अन्तर्दृष्टि बढ़ाने हेतु योग्य बनाना।
6. ~~सिक्षा~~ व्यवसायिक वैकल्पिक विषय
निम्नलिखित विशेष बातों पर बल देने के लिए कहा गया है
1. प्रयोगात्मक कार्य पर लगभग आधा समय लगाया जाय।
2. स्वयं रोजगार तत्व पर विशेषध्यान दिया जाय।
3. कृषि तथा इससे संबन्धित व्यवसायों के पाठ्यक्रम ~~का~~ बनाये जाय।
4. व्यवसायिक पाठ्यक्रमों का समय

साधारणतया कम होना चाहिए।

7. कार्यान्वयन

+2 समिति ने अनुभव किया कि शिक्षा क्षेत्र में सुधार तथा नवीनताएं इसलिए नहीं लायी जा सकी क्योंकि इसके लिए उचित तैयारी नहीं की गई। अत: यह आवश्यक है कि जितना समय इस योजना निर्माण में लगाते हैं उतना ही उसे कार्यान्वयन की तैयारी में लगाना चाहिए।

8. ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों की स्थापना

नए स्कूलों के खोलने में ग्रामीण क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाय।

9. वर्तमान क्षमता का पूरा लाभ

संस्थाओं की वर्तमान क्षमता का पूरा पूरा इस्तेमाल किया जाय ताकि व्यवसायीकरण में अधिक साधनों की आवश्यकताएं न पड़ें।

10. शैक्षिक तथा व्यवसायिक निर्देशन एवं परामर्श

छात्रों द्वारा उपर्युक्त पाठ्यक्रमों तथा व्यवसायों का उचित चुनाव करने के लिए यह जरूरी है कि तीन-चार ~~उचित चुनाव करने के लिए~~ विद्यालयों के समूह में एक परामर्श डालता कि

नियुक्ति ~~भी~~ की जाय। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में साथ ही इस पक्ष को दृढ़ बनाने के लिए उपर्युक्त सामग्री का संग्रह किया जाय।

(1) अध्यापकों का प्रशिक्षण

सामाजिक दृष्टि से लाभदायक उत्पादक कार्यक्रम तथा व्यवसायों के लिए यह आवश्यक है कि अध्यापकों को सेवाकालीन तथा सेवापूर्व प्रशिक्षण इसी ढंग का किया जाय। आवश्यकतानुसार अंश कालीक अध्यापकों की भी नियुक्ति की जाय।

(2) सरकारी भर्ती नीति

स्नातक पदवी को सार्वजनिक संस्थाओं में नौकरी से न जोड़ा जाय। व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को स्नातकों से प्राथमिकता दी जाय। तथा उन्हें ~~नहीं~~ वही वेतन मान कि दिया जाय।

(3) पाठ्यपुस्तकों का निर्माण

व्यवसायिक पाठ्यक्रमों कृषि तथा इससे संबन्धित विषयों में शिक्षा देने के लिए जरुरी है कि प्राथमिकता के आधार पर इन विषयों में उपर्युक्त पुस्तकों का निर्माण किया जाय।

14. राष्ट्रीय व्यवसायिक शिक्षा परिषद्

देश भर में व्यवसायिक शिक्षा का समन्वय स्थापित करने तथा इसे बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक परिषद की स्थापना की जाय।

15. स्थानीय समुदाय का योगदान

इस कार्य की सफलता के लिए यह भी ज़रूरी है स्थानीय समुदाय तथा अन्य अभिकरणों का पूरा-पूरा योगदान प्राप्त किया जाय।

16. वित्तीय साधन.

व्यवसायिक शिक्षा पर किया जाने वाला व्यय राष्ट्रीय निमिव जाय। हमें यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा में अतिरिक्त पूँजी लगाने ही पड़ेगी।

17. मूल्यांकन

समय समय पर समस्त कार्यक्रम का अवलोकन किया जाय। तथा अनुभव के आधार पर उचित संशोधन किया जाय।

सिफारिशों का मूल्यांकन

गुण :-

① उपर्युक्त शीर्षक :- रिपोर्ट का शीर्षक "सीखना करने को सीखते हुए तथा कार्यरत समाज के लिए" अति उपर्युक्त है। इससे स्पष्ट होता है कि समिति ने किस प्रकार से व्यवसायिक शिक्षा को विशेष महत्व दिया है।

② कार्य को महत्व शिक्षा में पुस्तकीय ज्ञान के स्थान पर बेसिक शिक्षा के सिद्धान्त करो, सीखो तथा कमाओ ठीक शिक्षा को तत्व मानने पर बल दिया।

③ सामान्य शिक्षा पाठ्यक्रम

अकादमिक पाठ्यक्रम के स्थान पर सामान्य शिक्षा पाठ्यक्रम का नाम दिया है क्योंकि अकादमिक शब्द से पुस्तकीय ज्ञान का बोध होता है। इसके विपरीत सामान्य शिक्षा पाठ्यक्रम विस्तृत तथा व्यवहारिक शिक्षा से जुड़ा हुआ है।

④ कृषि से जुड़े हुए व्यवहारिक पाठ्यक्रम

ग्रामीण अर्थ व्यवस्था में शिक्षा के विशेष योगदान हो। मानते

हुए कृषि से जुड़े हुए पाठ्यक्रमों को स्कूलों में अपनाने की सिफारिश वर्तमान स्थिति में बहुत ही अनुकूल है।

5) लचीलापन :- +2 समीक्षा समिति ने सही ही सुझाव दिया है कि हमारे शैक्षिक कार्यक्रम स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाए जाय।

6) उपर्युक्त तैयारी :- व्यवसायिक पाठ्यक्रम चलाने से पूर्व उपर्युक्त तैयारी का होना अत्यन्त आवश्यक है कि इस कार्य को कुशलतापूर्वक एवं योजनाबद्ध कार्यान्वयन किया जा सके।

दोष

① बनाने के लिए सीखना न कि करने के लिए सीखना :

बनाने के लिए सीखना न कि करने के लिए सीखना। कभी ऐसी अनुभूति होती है कि समीक्षा समिति ने करने पर आवश्यकता से अधिक बल दिया है और इसका यह भी अर्थ लगाया जा सकता है कि समिति केवल एक आर्थिक व्यक्ति को ही ध्यान में रखते हुए, मानव की आध्यात्मिक तथा नैतिक आवश्यकताएँ भी है। जिनकी अवहेलना नहीं की जा सकती।

2. सिफारिशों का आर्थिक पहलू

2. +2 की समीक्षा समिति ने उस मात्रा तथा सीमा तक आर्थिक विवेचना नहीं की है। जितनी होनी चाहिए थी। हमारा यह अत्यन्त दुर्भाग्य है कि इस प्रकार की समितियाँ इस महत्वपूर्ण बिन्दु को ध्यान में नहीं रखती। परिणाम स्वरूप हमारी शैक्षिक योजनाएँ केवल कागजी योजनाएँ रह जाती है।

3. समीक्षा समिति की कार्यपद्धति

+2 समीक्षा समिति ने अपने सिफारिशें प्रस्तुत करने से पूर्व छात्रों, उनके अध्यापकों तथा उनके अभिभावकों से विचार विमर्श नहीं किया। शिक्षा से संबन्धित एक बड़े वर्ग की अवहेलना की गई।

4. व्यवसायीकरण तथा अकादमिक पाठ्यक्रमों का साथ साथ चलना

संभवतः इस विषय पर हमारे शिक्षा विदों को पुनः विचार करना होगा कि दोनों प्रकार के पाठ्यक्रमों को एक ही शिक्षा संस्था में साथ - साथ चलाना

कहाँ तक न्यायसंगत होगा कई क्षेत्रों में ऐसा भी अनुभव किया जा रहा है कि हमारे साधारण विद्यालय व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के लिए उपयुक्त नहीं है ~~क्योंकि~~ उनमें व्यवसायों के लिए पर्याप्त साधन तथा सामग्री जुटाना बहुत कठिन है। आर्थिक दृष्टि से लाभकारी भी। व्यवसायिक पाठ्यक्रम केवल व्यवसायिक संस्थाओं में ही चलाया जाय।

शिक्षक शिक्षा [अध्यापक शिक्षा]

प्रस्तावना :- अध्यापक शिक्षा अथवा शिक्षक प्रशिक्षण का प्रत्येक देश की सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था के ~~प्रत्येक~~ अन्तर्गत बहुत महत्व होता है। इस शिक्षा के अभाव में किसी भी देश की प्रगति पूर्णतया असंभव होती है। वस्तुत: किसी भी देश की शिक्षा के क्षेत्र में विकास से संबन्धित समस्त कार्यक्रम की सफलता निन्देह योग्य शिक्षकों पर ही अवलंबित होती है। अध्यापकों को अधिकाधिक योग्य, ज्ञान संपन्न एवं कुशल ~~अध्यापकों के~~ बनाने के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि उनके

प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था की जाय।

भारत में अध्यापक शिक्षा का विकास

अध्यापक शिक्षा की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि :-

(1) प्राचीन भारत अथवा काल में शिक्षक प्रशिक्षण :- इस काल में शिक्षा केवल उच्च ~~कार्यों~~ वर्गों के व्यक्तियों तक ही ~~काल में शिक्षा~~ सीमित थी। उस समय अध्यापक काल मात्र व्यवस्था न होकर एक आध्यात्मिक कार्य माना जाता था। ~~शिक्षक की होकर एक आध्यात्मिक~~ शिक्षक प्रशिक्षण में सैद्धान्तिक ज्ञान का कोई स्थान नहीं था। इसके विपरीत उसमें व्यवहारिक शिक्षण की प्रधानता थी। इसके सीखने पर बल दिया जाता था। शिक्षक प्रशिक्षण की औपचारिक व्यवस्था नहीं थी। शिक्षक की सफलता उसके ज्ञान, चिन्तन, मनन, नैतिक एवं चारित्रिक गुणों, धार्मिक निष्ठा तथा भक्ति की भावना पर निर्भर करती थी।

(2) मध्यकाल में (मुस्लिम काल) में शिक्षक प्रशिक्षण

भारत में मुस्लिम

काल को शैक्षणिक अंधकार का युग माना जाता था। इस काल में अकबर के अतिरिक्त और किसी भी मुसलमान शासक ने शिक्षा में विशेष रुचि थी, अभिव्यक्ति नहीं की है। लगभग सभी मुस्लिम शासकों के प्रमुख दो उद्देश्य थे
① इस्लाम धर्म का प्रचार करना।
② हिन्दुओं को मुसलमान बनाना।
अतः मुस्लिम काल में शिक्षक प्रशिक्षण ने कि कोई योजना नहीं की।

③ छात्र अध्यापक प्रणाली

Primary अध्यापकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कुछ Private प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गई। उनकी प्रणाली मॉनिटोरियल प्रणाली पर आधारित थी। प्रत्येक विद्यार्थी senior विद्यार्थी के अधीन रखा जाता था। जिसे 'मॉनिटर' कहा जाता था।

4. ब्रिटिश काल अथवा ब्रिटीश भारत में शिक्षक प्रशिक्षण

इस काल में अंग्रेजों के भारत में आने तथा अंग्रेजी शिक्षा योजना लागू करने पर प्रशिक्षण

संस्थाओं की स्थापना का शुभारंभ हुआ।
सर्वप्रथम मुंबई में देशीय शिक्षा परिषद ने प्राथमिक शिक्षा के शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की। कलकत्ता स्कूल परिषद को देशीय स्कूलों के अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए कंपनी के संचालकों ने सन 1825 में पाँच

16/4/2014

शारीरिक शिक्षा और योग

प्रस्तावना :- आज हम स्वस्थ्य शिक्षा के विविध कार्यक्रमों में योग शिक्षा एवं शारीरिक शिक्षा को विशेष महत्व दे रहे हैं। गतिशील एवं संतुलित शारीरिक गठन के लिए शारीरिक एवं योगशिक्षा को हमने एक अनिवार्य शर्त के रूप में स्वीकार किया गया है।

अक्सर लोग स्वास्थ्य शिक्षा और शारीरिक शिक्षा को एक मान लेते है, क्योंकि इन दोनों में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। शारीरिक शिक्षा के अभाव में स्वास्थ्य शिक्षा के कार्यक्रम अधूरे माने जाते है। परन्तु इन

दोनों को एक दूसरे का पर्याय मान लेना अनुचित है। स्वास्थ्य शिक्षा का संबंध शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं से है जबकि शारीरिक शिक्षा शारीरिक क्रियाओं से संबंध रखती है। स्वास्थ्य शिक्षा का प्रभाव व्यक्ति, परीवार तथा उसके समुदाय पर पड़ता है, किन्तु शारीरिक शिक्षा का प्रभाव व्यक्ति विशेष के अंग एवं प्रत्यंगों के विकास पर पड़ता है।

शारीरिक शिक्षा का अर्थ

शारीरिक शिक्षा क्या है? शारीरिक शिक्षा वह है जो शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से व्यक्ति के शारीरिक विकास में अपनी योगदान प्रदान करती है। शारीरिक दृष्टि से व्यक्ति को सक्षम तथा हृष्ट पुष्ट बनाने के लिए शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। संकुचित अर्थ में शारीरिक शिक्षा को शारीरिक प्रशिक्षण, शारीरिक संस्कृति, जिमनास्टिक, खेलकूद आदि मान लिया जाता है।

किन्तु विस्तृत अर्थ में शारीरिक शिक्षा सुनिर्देशित शैक्षिक कार्यक्रम है, जिनके माध्यम से बालकों को ऐसे क्रियाओं में रखा जाता है, जो बालक शारीरिक अंगों के विकास के साथ - साथ उनके मानसिक, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास में भी अपना योगदान प्रदान करते है।

परिभाषाएँ

जे. एफ. विलियमस के अनुसार - "शारीरिक शिक्षा मनुष्य की क्रियाओं का योग है, जिसका चुनाव उसके प्रभाव की दृष्टि से किया जाता है।"

जे. बि. नैश के अनुसार - "शारीरिक शिक्षा शिक्षा के सभी क्षेत्रों की वह अवस्था है जो मांस पेशीयों क्रियाओं तथा उनकी अनुक्रियाओं से संबंधित है।"

शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य

1. संतुलित व्यक्तित्व का विकास करना।
2. शारीरिक विकास पर बल देना।
3. स्वास्थ्य का संरक्षण करना।
4. नियमित रूप से व्यायाम एवं खेल की

आदतों का विकास करना।

5. शारीरिक शिक्षा से संबंधित क्रियाओं में विभिन्न कौशलों का विकास करना।

6. आंगिक शक्ति का विकास करना।

7. बिमारियों पर रोक लगाना।

8. व्यक्तिगत गुणों का विकास करना।

9. सामाजिक अभिवृत्तियों का विकास करना।

10. उचित मनोरंजन के लिए रुचि विकसित करना।

शारीरिक शिक्षा से लाभ

भारतीय नवयुवकों को प्रेरित करते हुए स्वामी विवेकानन्द ने कहा था - "अब भारत को भगवत गीता की आवश्यकता नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है।"

सचमुच में देखा जाए तो एक छात्र कक्षा में अर्जित ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग खेल के मैदान में ही करता है। और इन वास्तविक अनुभवों का उसके भावी जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। ध्यान से देखा जाय तो शारीरिक शिक्षा से निम्न लाभ प्राप्त होते हैं।

तृतीय

1. सहयोग एवं ~~भ्रातृ~~ भावना का विकास।
2. अवकाश के समय का सदुपयोग।
3. मूलप्रवृत्तियों का उदात्तीकरण।
4. शारीरिक विकास।
5. नैतिक प्रशिक्षण।
6. खिलाडी भावना की विकास।
7. विभिन्न इन्द्रियों को प्रशिक्षित करना।
8. नेतृत्व का प्रशिक्षण।
9. जीवन की विषम परिस्थितियों का सामना करना।

विद्यालय में शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम

विद्यालय में विभिन्न आयु रुचि, अभिवृत्ति एवं शारीरिक क्षमतावाले बालक पाये जाते है। इसी कारण विद्यालय में विभिन्न स्तरों के आधार पर छात्रों को वर्गीकृत करके शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम को संचालित किया जाता है। ~~पूर्व प्राथमिक~~

① पूर्व प्राथमिक स्तर

इस स्तर पर तीन से पाँच वर्ष तक के बालक होता है। इन बालकों में अनुकरण, खेलकूद, स्वतंत्रता, सक्रियता इत्यादि की

प्रवृत्ति पायी जाती है। इन विशेषताओं को ध्यान में रखकर ही शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। इस स्तर पर शारीरिक व्यायाम, नृत्य लय और संगीत जैसे कार्यक्रम को।

2. प्राथमिक स्तर (एक से पाँचवीं कक्षा तक)

प्राथमिक स्तर पर बालकों की उम्र लगभग 6 से 10 वर्ष की होती है। इस स्तर पर छात्रों में जिज्ञासा एवं अनुकरण करने की प्रवृत्ति बनी रहती है। सामूहिक क्रिया कलापों में भाग लेना बालक अधिक पसन्द करते है। अतः इस स्तर पर लोकनृत्य, नाटक, संगीत, सामूहिक खेलकूद आदि को महत्व देना चाहिए।

3. माध्यमिक स्तर (6 से 8 कक्षा तक)

इस स्तर पर छात्रों की आयु ग्यारह से 13 वर्ष तक की पायी जाती है इस समय छात्रों का विकास तीव्र गति से होता है। इस स्तर तक तैरना, दौड़ना, कबड्डी, कोको सामूहिक ड्रिल आदि को शारीरिक (P.T)

शिक्षा के कार्यक्रम में जोड़ना जाना चाहिए।

4. उच्च माध्यमिक स्तर (9 से 12 तक)

हम देखते है कि इस स्तर पर छात्रों की उम्र लगभग चौदह से सत्रह वर्ष के मध्य पायी जाती है और उनमें प्रतिस्पर्दा की भावना समायोजन, साहस, विवेक, कार्य निष्ठा आदि विशेषताएँ पायी जाती है। इसलिए शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबाल, जिम्नास्टिक, योगासन आदि को रखा जाना चाहिए।

भारतीय विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति

भारतीय संदर्भ में यदि शारीरिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति पर नज़र डाला जाय तो बड़ी शर्मिला दशा मिलती है। शारीरिक शिक्षा केवल सिद्धान्त से जुड़ी रहती है। समयतालिका में उसके समय का निर्धारण तो कर दिया जाता है किन्तु छात्रों को खेलने या व्यायाम करने का अवसर नहीं दिया जाता।

अधिकांश शिक्षक अपने पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए इसके लिए निर्धारित अवधि का प्रयोग करना चाहते है। शारीरिक शिक्षा के शिक्षक भी कार्य-निष्ठा के अभाव में अथवा कार्यभार की अधिकता के कारण उनको अपना निर्धारित कालांश देने के लिए तैयार हो जाते है।

सौभाग्य से खेल का कालांश छात्रों को मिल भी गया तो खेलकूद ~~कुछ~~ सब के लिए सिद्धान्त की अवहेलना की जाती है। केवल कुछ चुने हुए छात्र ही इसका सदुपयोग कर पाते है। पर्याप्त सामग्री के अभाव में कुछ लोग अपना समय बरबाद करते है। कुछ ऐसे भी विद्यालय विशेषकर शहरों में देखा जा सकते है जहाँ पर खेल का मैदान ही नहीं होता है।

शारीरिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति को इस प्रकार प्रस्तुत कर सकते है।

1. शारीरिक शिक्षा का केवल सैद्धान्तिक एवं लिखित रूप में महत्व देना।

2. शारीरिक शिक्षा से संबंधित क्रियाओं पर कुछ चुने हुए छात्रों का चयन होना।
3. शारीरिक क्रियाओं से संबंधित उपकरण तथा सामग्रियों के कार्य हेतु धन का अभाव।
4. खेल के मैदान का विद्यालय परिसर से दूर होना।

योग शिक्षा

प्रस्तावना :- वर्तमान परिवेश में शारीरिक शिक्षा के महत्वपूर्ण अंश के रूप में योग शिक्षा को स्वीकार किया जा रहा है। कुछ विद्यालयों में योग शिक्षा को पाठ्यक्रम अभिन्न अंग बना दिया गया है। क्योंकि योगासन द्वारा शारीरिक अवयवों को, सशक्त इन्द्रियों को नियंत्रित मन को एकाग्र भावनाओं को संतुलित किया जा सकता है।

योग शिक्षा के उद्देश्य

योगिक क्रियाओं की शिक्षा ही योगासन तथा शिक्षा है। जो छात्रों के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक विकास में सहायक होती है।

छात्र योग शिक्षा प्राप्त करने से निम्न उद्देश्यों को प्राप्त कर सकेंगे।

1. शारीरिक एवं मानसिक विकास करना।
2. स्थूल जगत से सूक्ष्म जगत की ओर प्रेरित करना।
3. यौगिक क्रियाओं द्वारा आध्यात्मिक विकास करना।
4. आत्मसंयम द्वारा जीवन को अनुशासित करना।
5. चरित्र निर्माण में मार्गदर्शन प्रदान करना।
6. मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रेरित करना।

7. योगासन

योग साहित्य में वर्णित विशेष क्रियाओं को ही योगासन कहते है। योगासन योगाभ्यास के समय में बैठने की वह स्थिति है जिसमें बैठकर छात्र (साधक) योग क्रियाओं को सुगमता से कर देता है। योगासन की परंपरा हमारे देश में प्राचीन काल से चलती आ रही है। महर्षि पतंजली ने योग के आठ अंगों की चर्चा की है।

(1) यम, (2) नियम (3) आसन

4. प्राणायाम
5. प्रत्याहार
6. धारणा
7. ध्यान
8. समाधी

इनको अष्टांगिक मार्ग के नाम से जाना जाता है। यम और नियम व्यक्ति के सामान्य जीवन से संबंधित है। ये वे नैतिक क्रियायें हैं जिसके द्वारा वह अपने जीवन को अनुशासित करता है। आसन, प्राणायाम तथा प्रत्याहार वे शारीरिक क्रियायें हैं जो हमें स्थूल से सूक्ष्म जगत की ओर ले जाती है। सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है।

इस प्रकार वह शारीरिक एवं मानसिक अवस्था है, जिसमें व्यक्ति योगाभ्यास करने में सुविधा महसूस करता है। ध्यानोपयोगी आसान के समय शरीर एवं मन की स्थिरता आवश्यक है। व्यायामात्मक आसन शरीर की विभिन्न मांस पेशियों पर उचित ध्यान दिया जाय ताकि उनका बार-बार संकुचल एवं प्रसरण हो।

विश्रामदायक आसन में शरीर और मन को आराम देने के लिए लेटकर किया जाता है।

योगासन से संबंधित आवश्यक बातें

योगासन मात्र एक शारीरिक व्यायाम नहीं है अपितु इसका प्रभाव मन पर भी पड़ता है। इसीलिए योगासन करने से पूर्व हमें उसके बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। जो निम्न है -

1. योगासन समतल एवं स्वच्छ भूमि पर किया जाय। आवश्यकतानुसार चटाई दरी, कंबल, या आसनिका का प्रयोग किया जा सकता है।
2. योगाभ्यास खुला वातावरण में किन्तु एकान्त स्थान पर किया जाय।
3. योगासन सदैव शुद्धवायु में करें।
4. योगासन करने से पहले तीन या चार घण्टे तक कुछ न खाया जाय। चाय, पानी आदि पीने के तुरन्त बाद भी योगाभ्यास न करें। कम से कम आधा घण्टा बाद ही योगाभ्यास करें।
5. योगाभ्यास के समय मौन एवं शान्त रहें।

6. बीमारी के अवस्था में योगाभ्यास न करें।
7. योगाभ्यास के समय मुँह से साँस न लें।
8. योगाभ्यास अपनी शक्ति की सीमा के अन्तर करें। जब थकान महसूस हो तब आसन बन्द कर दे।
9. योगासन योग्य एवं प्रशिक्षित शिक्षक की देखरेख में ही किया जाय।
10. योगासन को झटके या शारीरिक हलचल के साथ नहीं करना चाहिए।

प्रमुख योगासन

योगाचार्यों के द्वारा चौरासी योगासनों पर ~~[illegible]~~ चर्चा की गई। इसमें से अठाईस आसन ध्यानार्थ तथा छप्पन आसन रोगापचार्थी माने गये है। ध्यानार्थ आसन में छात्र या साधक ध्यान करते है। जिससे उनको मानसिक शान्ति प्राप्ति होती है। व्यायात्मक आसन रोग निवारक शक्ति में वृद्धि करके शरीर को सुन्दर और स्वस्थ बनाते है। इसमें से कुछ आसन खड़े होकर कुछ आसन बैठकर किये जाते है। यहाँ पर हम कुछ प्रमुख आसनों की चर्चा करेंगे

1. सुखासन

विधि :- (method) जमीन पर चटाई बिछाकर इस प्रकार बैठे कि दाई पैर की एड़ी बाईं जांघ के नीचे रहे। और बाई पैर की एड़ी दाई जांघ के नीचे रहे। दोनों हाथों को घुटनों पर इस प्रकार रखे कि हथेलियाँ घुटनों को छूती रहे।

सामान्य ढंग से साँस लेते रहे। ध्यान रखे कि रीढ़ हड्डी गर्दन और सिर तक सीधे रहे। दृष्टि नासिका के अग्र भाग पर रहे। शरीर को अधिक न ताने जब थकान महसूस हो तो पैरों को बदल लो।

लाभ:

1. पाचन संस्थान के सभी अंग सक्रीय हो जाते है।
२. कब्ज, पेचिश, अतीसार, पेट दर्द, अपच, वायु विकार दूर हो जाते है।

२. पद्मासन

विधि :- जमीन पर बैठकर दोनों पैर सीधा कर के फैला ले। फिर दायाँ पैर बाई जांघ पर और बायाँ पैर

दाईं जांघ पर इस तरह से रखें कि दोनों पैरों की एड़ियाँ नाभी के दोनों ओर पेट से सटी रहे। हाथों को घुटनों पर रखें। कमर, छाती, सिर आदि सारे भाग को सीधा तना रखें। दोनों पैरों के घुटनें जमीन से मिले रहे। आँखें बन्द रखें।

लाभ

① मन को एकाग्रत करने में सहायता मिलती है।
② पाचन शक्ति बढ़ती है।
③ मानसिक शक्ति में वृद्धि होती है।
④

③ ताड़ासन

① विधि
② लाभ

④ पादहस्तासन
① विधि
② लाभ

⑤ वज्रासन

1. विधि
2. लाभ

19/9/2019

स्त्री शिक्षा

प्रस्तावना :- प्राचीन भारत स्त्री का स्तर तथा उसे उपलब्ध शैक्षिक अवसर पुरुष के समान थे। वैदिक काल में बालक और बालिकाओं को समानता के आधार पर उपनयन संस्कार उपलब्ध था। मध्यकालीन भारत में राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तनों के कारण स्त्री का स्तर गिर जाने से उसका शैक्षिक क्रियाओं में भाग लेना कम हो गया। समाज ने स्त्री शिक्षा के विरोध में पूर्वाग्रह उत्पन्न हो गये। ब्रिटीश शासन ने स्त्रियों के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन में भाग लेने का वातावरण बना। परन्तु फिर भी सामाजिक परंपराएँ स्त्रियों के शैक्षिक और व्यवसायिक मार्गों में बाधा बनी रही।

स्वतंत्र भारत में स्त्री शिक्षा

स्वतंत्र भारत में स्त्री शिक्षा की स्थिति में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। समाज के दृष्टिकोण में भी पर्याप्त परिवर्तन आ गया है। स्त्रियाँ

जिन बंधनों से बांधी थी, वे सब ढीले होते जा रहे है। स्त्रियाँ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपने प्रतिभा का परिचय दे रही है। स्वतंत्रता के पश्चात स्त्री शिक्षा के विकास तीव्रता से हो रही है।

महिला शिक्षा तथा महिलाओं को अधिकार संपन्न बनाने के वर्तमान कार्यक्रम

मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट सन 1993 के अनुसार महिला शिक्षा, महिला समानता, तथा महिलाओं को अधिकार संपन्न बनाने के वर्तमान कार्यक्रम तथा उपलब्धियाँ निम्नलिखित है।

1. बालिकाओं के नामांकन तथा उन्हें कक्षा में रोके रखने पर बल दिया जा रहा है।
2. आपेरेशन ब्लाक बोर्ड योजना के संशोधित नीती निर्धारणों में यह शर्त है कि भविष्य में नियुक्ती किये जाने वाले शिक्षकों में कम से कम पच्चास प्रतिशत महिलाएँ होने चाहिए।
3. बालिकाओं को विद्यालय में

रोके रखने के लिए छात्रावास सुवि-
धाओं को सुदृढ बनाने की योजना
प्रारंभ की गयी है। छात्रावासों में रह रही
छात्राओं के भोजन, फरनीचर, बर्तन,
मनोरंजन संबंधी सामग्री आदि के
लिए सहायता प्रदान की जाती है।
4. +2 स्तर पर केन्द्रीय प्रायोजिक कार्यक्रम
के अन्तर्गत विद्यालय छोड़ देने वाली
बालिकाओं की आवश्यकताओं को पूरा
करने के लिए प्रयास करते हुए अनेक
व्यवसायिक कार्यक्रम तैयार किये जा
रहे है।

राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1958
(श्रीमती दुर्गा बाई देशमुख समिति
के सुझाव)

भारत सरकार ने सन् 1958 में स्त्री
शिक्षा पर विचार करने के लिए श्रीमती
दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में
राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति की
नियुक्ति की। इस समिति को श्रीमती
दुर्गा बाई देशमुख समिति भी
कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य
स्त्री शिक्षा की विभिन्न समस्याओं का

समाधान करने के लिए अपने सुझाव प्रस्तुत करना था। अतः समिति ने फरवरी 1958 में अपना प्रतिवेदन सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया और उनमें निम्नलिखित सुझाव दिये।

1. केन्द्रीय सरकार स्त्री शिक्षा को कुछ समय के लिए एक विशिष्ट समस्या के रूप में स्वीकार करना चाहिए। और उसके प्रसार का भार अपने ऊपर लेना चाहिए।
2. केन्द्रीय सरकार एक निश्चित योजना के अनुसार निश्चित अवधि में स्त्री शिक्षा का विकास एवं विस्तार करना चाहिए।
3. पुरुषों एवं स्त्रियों की शिक्षा में विद्यमान विषमता को यथाशीघ्र समाप्त करके दोनों की शिक्षा में समानता प्रस्थापित की जाने चाहिए।
4. राज्यों में स्त्री शिक्षा का प्रसार करने के लिए बालिका एवं स्त्री शिक्षा की राज्य परिषदों का निर्माण किया जाना चाहिए।
5. प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तरों पर बालिकाओं को शिक्षा की अधिक

सुविधाएँ ~~भी~~ प्रदान की जानी चाहिए।

राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद 1959

देशमुख समिति की सिफारिश को स्वीकार करके, केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 1959 में राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद का निर्माण किया। 1964 में इसका पुनर्गठन किया गया। इस समय इसमें अध्यक्ष एवं सचिव के अतिरिक्त सत्ताईस सदस्य थे। इसके मुख्य कार्य निम्नलिखित है। ① विद्यालय स्तर पर बालिकाओं की और प्रौढ़ स्त्रियों की शिक्षा से संबंधित समस्याओं पर सरकार को परामर्श देना।

② बालिकाओं एवं स्त्रियों की शिक्षा के पक्ष में जनमत का निर्माण करने के लिए उचित उपायों का सुझाव देना।

③ अन्न क्षेत्रों में व्यक्तिगत प्रयासों का सर्वोत्तम प्रयोग करने के लिए उपायों का सुझाव देना।

④ शिक्षा के क्षेत्र में होने वाली प्रगति का समय समय पर मूल्यांकन करना और भावी कार्यक्रम की प्रगति पर दृष्टि रखना।

⑤ शिक्षा से संबंधित समस्याओं पर विचार करने के लिए समय समय पर आवश्यकतानुसार सर्वेक्षण, अनुसंधान, एवं विचार गोष्ठियों का आयोजन किये जाने की सिफारिश करना।

हंसा मेहता समिति – 1962

राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद का एक मुख्य कार्य विद्यालय स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा से संबंधित समस्याओं का समाधान करना है। श्रीमती हंसा मेहता की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की, जिसे हंसा मेहता समिति कहा जाता है। इस समिति के सदस्यों ने पर्याप्त विचार विमर्श के पश्चात दो सुझाव प्रस्तुत किये हैं

1. विद्यालय स्तर पर बालकों और बालिकाओं के पाठ्यक्रम में अन्तर नहीं होना चाहिए। इससे संबंध अपने तर्क प्रस्तुत करते हुए समिति ने कहा। हम भारत में जनतंत्रीय एवं समाजवादी समाज की स्थापना करने की कार्य कर रहे हैं।

ऐसे समाज में शिक्षा का संबंध व्यक्तिगत क्षमताओं एवं रुचियों से होना चाहिए। अतः ऐसे समाज में लिंग के आधार पर पाठ्यक्रमों में अन्तर करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

2. यह था कि भारत में जनतंत्रीय एवं समाजवादी समाज के निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। अतः इस अवधि में हमें पुरुषों एवं स्त्रियों के मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक कार्यों के भेदों के आधार पर बालकों एवं बालिकाओं के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों का निर्माण करना चाहिए। किन्तु पाठ्यक्रमों की विभिन्नता को नये समाज के निर्माण में उपस्थित नहीं करनी चाहिए। अतः ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाना चाहिए। जो पुरुषों एवं स्त्रियों के वर्तमान अन्तर को स्थायी या अधिक उग्र बना दे।

कोठारी कमीशन और स्त्री शिक्षा

कोठारी कमीशन ने स्त्री शिक्षा के समस्त पक्षों के विषयों में महत्वपूर्ण सुझाव दिये है।

1. प्राथमिक शिक्षा।

① भारतीय संविधान द्वारा प्रतिपादित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बालिकाओं में अनिवार्य शिक्षा का प्रसार करने के लिए विशेष प्रयास किये जाय।

② बालिकाओं को मुफ्त पुस्तकें, लेखन सामग्री एवं वस्त्र देकर, शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाय।

② माध्यमिक शिक्षा

1. बालिकाओं के लिए अलग विद्यालयों की स्थापना की जाय। जहाँ यह संभव नहीं है, वहाँ के विद्यालय में कुछ अध्यापिकाओं की अनिवार्य रूप से नियुक्ति की जाय।
2. बालिकाओं को छात्रावास एवं यातायात के साधनों की सुविधाएँ प्रदान की जाय।

③ उच्च शिक्षा

1. छात्रवृत्तियों एवं मितव्ययी छात्रावासों की व्यवस्था करके, बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाय।
2. शिक्षा, गृहविज्ञान, एवं सामाजिक कार्य के पाठ्य विषय को विकसित करके

उनके बालिकाओं के लिए अधिक आकर्षक बनाया जाय।

(4) सामान्य सुझाव

1. स्त्रियों एवं बालिकाओं की शिक्षा की देखभाल करने के लिए केन्द्रीय एवं राज्य स्तरों पर उपयुक्त प्रशासनीय संगठनों का सृजन किया जाय।
2. अविवाहित स्त्रियों के लिए पूर्णकालीन रोज़गारों की व्यवस्था की जाय।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 तथा स्त्री शिक्षा

महिलाओं को शैक्षिक अवसर प्रदान करना शिक्षा के क्षेत्र में स्वतंत्रता से ही एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में महिलाओं की समानता के लिए निम्नांकित लक्ष्य निर्धारित किये गये।

1. लड़कियों के लिए प्रारंभिक शिक्षा का समयबद्ध कार्यक्रम
2. व्यवसायिक, तकनीकी तथा प्रोद्योगिकी में महिलाओं के प्रवेश को बढ़ाना।
3. महिलाओं को अधिकार दिलाने में सही मध्यस्थता वाली भूमिका निभायेंगी।
4. नये सिरे से तैयार किये गये पाठ्यक्रम (तरीके)

तथा पाठ्यपुस्तकों के माध्यम से मूल्यों के विकास के प्रति योगदान करेगी।

आचार्य राममूर्ति समिति (1990) तथा महिला शिक्षा।

आचार्य राममूर्ति समिति ने महिला शिक्षा के संबंध में अनेक महत्वपूर्ण शिफारिशें की है।

1. शिशु देखभाल तथा शिक्षा केन्द्र प्राथमिक विद्यालयों के पास में ही स्थापित किये जाने चाहिए। साथ ही इनकी समयावधी को विद्यालयों की समयावधी के साथ समायोजित किया जाय।
2. 1 से 3 कक्षा का पाठ्यक्रम शिशु शिक्षा केन्द्रों के अनुकूल बनाया जाय।
3. योग्य छात्राओं को यूनिफॉर्म (गणवेश) पाठ्यपुस्तकें आदि प्रदान की जाय।
4. महिला शिक्षकों की संख्या बढायी जायी।
5. छात्रावों को विद्यालय पहुँचाने के लिए परिवहन की व्यवस्था की जाय। (bus)
6. छात्राओं को आवासीय सुविधाएँ प्रदान की जाय। इसके लिए छात्रावासों

की स्थापना की जाय।

स्त्री शिक्षा के विकास में आने वाली विभिन्न समस्याएँ और उनके समाधान

1. समस्या : जनसाधारण का रूढ़ीवादी होना।
समाधान : रूढ़ीवादीता को समाप्त करना।
2. समस्या : सामाजिक कुप्रथाएँ।
समाधान : सामाजिक कुप्रथाओं को समाप्त करना।
3. समस्या : निरक्षरता।
समाधान : शिक्षा के व्यापक व्यवस्था
4. समस्या : दोषपूर्ण पाठ्यक्रम।
समाधान : विभिन्न पाठ्यक्रमों की व्यवस्था।
5. समस्या : बालिकाओं के लिए अलग विद्यालयों का अभाव।
समाधान : कुछ सुझाव।
6. समस्या : शिक्षा में अपव्यय व अवरोधन।
समाधान : कुछ सुझाव।

Short Note

/6/2014

Page No. 7

शिक्षा संरचना (शिक्षा प्रणाली)
10+2+3

प्रस्तावना :-

कोठारी शिक्षा आयोग 1964-66 ने 10+2+3 शिक्षा प्रणाली अपनाने की शिफारिश की। इसके उपरान्त शिक्षा की राष्ट्रीय नीति 1968 ने यह कहा गया है कि देश के हर भाग में शिक्षा का ढाँचा मोटे तौर पर एक समान हो। इसका उद्देश्य अंत: 10+2+3 पद्धति का अपनाना हो। इस पक्षों पर विचार करके 1975 में यह लागू की गयी। धीरे धीरे इसे लगभग सभी राज्यों तथा केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों ने स्वीकार कर लिया है।

10+2+3 शिक्षा संरचना का अर्थ

10+2+3 शिक्षा से तात्पर्य पन्द्रह वर्ष तक की अवस्था में बालक-बालिकाओं के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना है।

10+2+3 का विस्तापूर्वक अर्थ इस प्रकार समझा जा

सकता है।

दस वर्ष के अन्तर्गत एक से 10 तक अवधि और इस अवधि में प्राप्त की जाने वाली शिक्षा। यह शिक्षा छः से 16 वर्ष की तक की आयु तक प्राप्त की जाती है।

+2 के अन्तर्गत कक्षा ग्यारह तथा कक्षा बारह। इस दो वर्ष की अवधि में सामान्य एवं विशेष दोनों प्रकार की शिक्षा छात्रों को प्रदान की जायेगी। आगे आने वाले कक्षा में प्रवेश प्राप्त करने की तैयारी भी इसी अवधि में होगी। इस प्रकार यह शिक्षा सोलह से 18 वर्ष की आयु तक चलेगी।

+3 से अभिप्राय है कि उच्च शिक्षा की प्रथम उपाधि के लिए निर्धारित अवधि तीन वर्ष की होगी। इसमें छात्र सामान्य एवं विशेष दोनों में से किसी भी शिक्षा के विषयों में प्रथम उपाधि की तैयारी करेंगे। यह शिक्षा 18 से 21 वर्ष की आयु तक प्राप्त होगी।

अतः 10+2+3 शिक्षा प्रणाली में दसवीं कक्षा तक सामान्य शिक्षा की व्यवस्था की गयी है, क्योंकि इस स्तर पर छात्र 16 वर्ष की आयु को प्राप्त कर लेता है तथा उसमें मानसिक परिपक्वता भी आ जाती है। छात्र आगे की कक्षा में लिये जाने वाले विषयों के संबंध में स्वयं निर्णय लेता है।

10+2+3 शिक्षा पद्धति की विशेषताएँ

1. शिक्षा संरचना में एकरूपता

इस पद्धति के द्वारा समस्त भारत वर्ष की शिक्षा प्रणाली में समरूपता लायी जा सकेगी। आज भारत की शिक्षा प्रणाली में समरूपता नहीं है। शिक्षा प्रणाली की एकरूपता राष्ट्रीय एकता का विकास कर सकेगी। इस एकता के द्वारा सभी बुद्धिजीवि एक दूसरे प्रान्तों के व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श कर सकेंगे।

2. जीविकोपार्जन अथवा व्यवसायिक शिक्षा की प्रमुखता

इस शिक्षा प्रणाली

ने व्यवसायिक शिक्षा पर अधिक बल दिया है। इस पद्धति के द्वारा छात्र प्रारंभ में अपने अन्तर आत्मावलंबन की भावना से जागृत होगा और श्रम के प्रति जागरूक रहेगा। इस व्यवसायिक कुशलता के द्वारा देश की बेरोजगारी को भी दूर किया जा सकेगा। ~~शैक्षिक~~

3 ~~स्तर~~ शैक्षिक स्तर एवं पाठ्यक्रम में समानता

वर्तमान शिक्षा प्रणाली के शैक्षिक स्तर में असमानताएँ निहित है। जिनके आधार पर किसी एक राज्य का शैक्षिक स्तर उच्च अथवा निम्न कोटि का होता है। इसका कारण प्रत्येक स्थान पर पाठ्यक्रम का भिन्न होना। इस 10+2+3 की पद्धति द्वारा इस प्रकार की असमानताएँ समाप्त होगी। सभी जगह समान पाठ्यक्रम निर्धारित किया जायेगा।

4. स्वास्थ्य में सुधार

इस प्रणाली के द्वारा छात्रों को शारीरिक शिक्षा के महत्व के बारे में ज्ञान प्रदान किया

जायेगा। इससे छात्रों का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य उत्तम रहेगा।

5. मूल्यांकन की नयी प्रणाली

इस प्रणाली के द्वारा नवीन मूल्यांकन पद्धति का निर्माण किया गया है। परीक्षा परिणाम श्रेणियों अथवा ग्रेडों के आधार पर दिये जायेंगे।

6. शिक्षा के स्तर को उन्नत बनाना

शिक्षा प्रणाली में सभी विषय उन्नत स्तर वाले होंगे। जैसे विज्ञान, गणित आदि इन विषयों में भी इसी स्तर पर ज्ञानार्जन कर सकेगा।

10+2+3 शिक्षा संरचना का महत्व

1. शिक्षा संरचना में एकरूपता लाना।
2. शैक्षिक स्तरों में एकरूपता लाना।
3. भावनात्मक एकता का विकास।
4. पाठ्यक्रम में व्यवसायिकरण एवं ~~सामान्यता की~~ सामान्यता की प्रवृत्ति।
5. उच्च शिक्षा की अवांछनीय भीड को

सीखना।

* 10+2+3 शिक्षा प्रणाली का पाठ्यक्रम

① माध्यमिक स्तर तक तीन भाषाओं का अध्ययन।
ⓐ मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा
ⓑ उच्च हिन्दी अथवा प्रारंभिक हिन्दी
ⓒ उच्च अथवा प्रारंभिक अंग्रेजी
ⓓ आधुनिक भारतीय भाषा
② गणित
③ भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र
④ इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं वाणिज्य।
⑤ कार्यानुभव

मूल्यांकन

गुण

1. शिक्षित बेरोजगारी से समाप्त करने में यह शैक्षिक संरचना सहायक होगी।
2. छात्र अध्ययन के साथ साथ रोजगार भी प्राप्त कर सकेगा।
3. इसके द्वारा शिक्षा का व्यवसायीकरण संभव हो सकेगा।
4. मौलिक चिन्तन पर अधिक बल दिया

जा सकेगा।
5. शिक्षा का स्वरूप प्रयोगात्मक हो सकेगा।

दोष
① सम्पूर्ण देश में न लागू होने पर विशेष दोष उत्पन्न हो जायेंगे।
② इसके कार्यान्वयन में असुविधा होगी।
③ इसप्रकार के स्कूलों का अपर्याप्त होना।
④ अध्यापकों के उचित प्रशिक्षण की कमी
⑤ छात्रों पर प्रारंभ से ही अधिक कार्य भार हो जायेगा।

निष्कर्ष

इस प्रकार नयी शिक्षा संरचना जहाँ एक ओर संपूर्ण देश में एक सा पाठ्यक्रम लागू करने में समर्थ है वहीं वह देश की बेरोजगारी जीविकोपार्जन की समस्या भी हल करने में समर्थ है। शिक्षा का आर्थिक विकास एवं उत्पादकता से संबंध जुड़ जाता है।

स्थापना

भारतीय शिक्षा आयोग की (1964-66) की अनुसंधानों के, सिफारिशों के अनुसार 10+2+3 संरचना को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में स्थान

दिया गया।

<u>ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड (Note)</u>

<u>नवोदया विद्यालय</u>

मुक्त विद्यालय, पब्लिक स्कूल

11/6/2014

<u>नवोदया विद्यालय</u>

<u>प्रस्तावना</u> :- नई शिक्षा नीति 1986 के अन्तर्गत नवोदय विद्यालय की स्थापना का सुझाव दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप हमारे देश में आज नवोदय विद्यालयों की स्थापना की गयी है। देश के प्रत्येक जिले में एक एक नवोदया विद्यालय खोला जायेगा। 1987-88 सौ नवोदया विद्यालय खोले गये। उत्तर प्रदेश में 1989 तक 40 नवोदय विद्यालयों को खोला गया। इन विद्यालयों में 75% - ग्रामीणों तथा 25% तक नगरों के बालकों को प्रवेश दिया जाता है।

<u>नवोदया विद्यालयों के उद्देश्य</u>

(1) शैक्षिक असमानताओं को दूर करने का

लक्ष्य।
2. उत्तम शिक्षा एवं उत्तम शैक्षिक वातावरण का निर्माण करना।
3. प्रतिभावों की खोज करके उन्हें शैक्षिक अवसर प्रदान करना।
4. छात्रों में विश्वास, आस्था, राष्ट्रीय प्रेम एवं सद्भावना आदि गुणों का विकास करना।
5. 'सम्पूर्ण देश में त्रि भाषा सूत्र के आधार पर शिक्षा प्रदान करना।
6. शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाना तथा ~~नि:~~ नि:शुल्क शिक्षा प्रदान करना।

नवोदय विद्यालय की आवश्यकता

देश में अच्छे स्कूलों की संख्या सीमित है। इनमें से अधिकांश शहरी क्षेत्रों में स्थित है। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए जो कि प्राय: निर्धन परिवार से होते है इन अच्छे स्कूलों की सुविधा भी उपलब्ध नहीं होती या इनकी पहुँच से बाहर होती है। फिर बच्चों के एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की भी कठिनाई है जो ज्ञानार्जन के स्तरों तथा शिक्षा माध्यम की भिन्न

भिन्नता के कारण पैदा होती है।
शिक्षा
राष्ट्रीय नीति (1986) गति निर्धारक विद्यालयों की चर्चा है। यह विद्यालय ऐसे बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा उपलब्ध करते है, जिनमें विशेष प्रतिभा या अभिरुचि है उनकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो इनको अच्छी शिक्षा प्राप्त कर तेजी से आगे बढने के अवसर मिलेंगे। कार्य योजना में ऐसे विद्यालयों को नवोदय विद्यालय कहा गया है। इसलिए इन नवोदय विद्यालयों की आवश्यकता बहुत है।

नवोदय विद्यालयों की प्रमुख विशेषताएं

① ग्रामीण क्षेत्रों के बालक नगरों के बालकों की तरह शिक्षा प्राप्ति के अवसर प्राप्त कर सकेंगे।
② नवोदया विद्यालयों की स्थापना शिक्षा के क्षेत्र में एक नवीन कदम होगा। जिसके द्वारा देश की शिक्षा संरचना को अभिनव रुप प्रदान किया जा सकेगा।
③ नवोदय विद्यालयों का स्वरुप आवासीय होगा। राज्य की ओर से वस्त्र,

भोजन तथा अन्य सुविधायें उपलब्ध की जायेंगी।

(4) यह विद्यालय शैक्षिक गति निर्धारक विद्यालय के रूप में होगे। जिनमें नवीन प्रयोगों, अनुसंधानों तथा अन्य नूतन कार्यों पर बल प्रदान किया जायेगा।

(5) इन विद्यालयों में उत्तम शैक्षिक वातावरण प्रदान किया जायेगा ताकि आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े प्रतिभावान छात्र लाभान्वित हो सके।

<u>पाठ्यक्रम</u>

यह विद्यालय केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परीषद से संबंध है। शिक्षा का माध्यम हिन्दी या अंग्रेजी इनमें चार प्रकार के पाठ्यक्रम पढ़ाये जाते है।

1. मानविकी (humanities)
2. विज्ञान
3. वाणिज्य
4. व्यवसायिक

इनको मोडल स्कूल के रूप में पूरे देश में स्थापित किया गया है। राज्य सरकारें इन विद्यालयों

के लिए भवन की व्यवस्था करती है। तथा केन्द्र सरकार इनको चलाने का व्यय वहन करता है।

पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें राष्ट्रीय शैक्षिक शोध एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा तैयार किये जाते है। भारतीय संस्कृति तथा कार्यअनुभव (work experience) पाठ्यक्रम में विशेष स्थान दिया गया है।

शिक्षण पद्धति

सामूहिक शिक्षण, वैयक्तिक शिक्षण पर विशेष बल दिया जायेगा। अध्ययन, अध्यापन प्रक्रिया कक्षीय शिक्षण न होकर विशिष्ट प्रकार की होगी। जिसमें सृजनात्मक मनोवैज्ञानिक तथा वैयक्तिक विभिन्नता का ध्यान रखा जायेगा।

नवोदय विद्यालयों में प्रवेश

प्रवेश परीक्षा बच्चों की मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में होती है। प्रवेश लेने वाले को किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में तीसरी, चौथी तथा पाँचवीं की परीक्षा पास

करनी होगी। प्रवेश परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर कोई भी छात्र दूसरी बार इस परीक्षा में नहीं बैठ सकता। बालक ने जिस भाषा माध्यम से 5-10वी कक्षा उत्तीर्ण की है, वह उस भाषा माध्यम से प्रवेश परीक्षा में प्रश्नों को हल कर सकता है। प्रवेश परीक्षा में मानसिक योग्यता, भाषा तथा गणित की जाँच के लिए स्थान प्रदान किया गया है।

नवोदय विद्यालयों की वर्तमान स्थिति

आमतौर पर इन विद्यालयों में शहरी क्षेत्रों के छात्रों का प्रवेश अधिक से अधिक 25% तक सीमित रखा गया है। विशेष छात्र ग्रामीण क्षेत्रों से होंगे। प्रत्येक नवोदय विद्यालय में कम से कम 1/3 लड़कियों की भर्ती सुनिश्चित कर लेने के लिए प्रयास किये गये है। इन विद्यालयों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति के छात्रों को संबंधित जिले में उनकी जनसं 2071 को अनुपात में आरक्षण प्रदान किया जा रहा है।

नवोदय विद्यालय +2 स्तर तक कला, वाणिज्य, विज्ञान तथा व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करते है। इस समय देश के अनेक राज्यों केन्द्र शासित प्रदेशों में नवोदय विद्यालय चल रहे है।

नवोदय विद्यालय के गुण

1. नवोदय विद्यालय शैक्षिक असमानता को दूर करने में सहायक है।
2. ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए अवसर प्रदान करती है।
3. इनके द्वारा राष्ट्रीय एवं भावनात्मक एकता की स्थापना में सहायता प्रदान की जा सकेगी।
4. नवोदय विद्यालय में त्रिभाषा सूत्र को क्रियान्वित किया जा रहा है।
5. नवोदया विद्यालय निजि क्षेत्र के पब्लिक स्कूलों के समान उत्तम शिक्षा देने में समर्थ होगो।
6. इनके माध्यम से सामाजिक न्याय के लिए अवसर प्राप्त हो सकेगा।

12/6/2019

पब्लिक स्कूल

प्रस्तावना :- भारत में पब्लिक स्कूलों की परंपरा का आरंभ ब्रिटीश काल से हुआ। इन स्कूलों को इंग्लैंड के पब्लिक स्कूलों के आधार पर स्थापित किया गया। इंग्लैंड के पब्लिक स्कूलों में राजा महाराजों तथा ~~संपन्न~~ समृद्ध परिवारों के सदस्यों को शिक्षा प्रदान की जाती थी। इस प्रकार के स्कूल स्थानीय या राज्य प्रशासन से स्वतंत्र होते थे। इनकी स्थापना सार्वजनिक हित के लिए की जाती थी, साथ ही देश व विदेश के सभी छात्र इन स्कूलों की ओर आकर्षित होते थे। इनमें अधिकांश बोर्डिंग स्कूल होते थे।

पब्लिक स्कूल का अर्थ

पब्लिक स्कूल से तात्पर्य उन शिक्षा संस्थाओं से है जिनमें समृद्ध व्यक्तियों व राजा महाराजाओं के बालक शिक्षा प्राप्त करते है। इनके द्वारा बालकों का चारित्रिक, बौद्धिक

तथा सामाजिक विकास किया जाता है।
ये बोर्डिंग स्कूल होते है तथा इनमें
वर्ष भर रहना अनिवार्य होता है।
इनमें छे वर्ष से लेकर अठारह वर्ष तक
के बालक अध्ययन करते है ये स्थानीय
तथा राज्य प्रशासन से मुक्त होते है।
अतः इन पब्लिक स्कूलों में अधिकांश
धनी वर्ग के छात्र ही शिक्षा प्राप्त कर
सकते है। ये अत्यन्त खर्चीले होते है।

भारत में पब्लिक स्कूल

इंग्लैण्ड के पब्लिक
स्कूलों के अनुरूप भारत में सर्वप्रथम
1856 में विशप काटन पब्लिक
स्कूल शिमला में खोला गया था।
इसके पश्चात 1870 में राजकुमार कालेज
में राजकोट में की गयी। इसके अतिरिक्त
अजमेर (1873) दिल्ली कालेज, इंदौर
(1885), शिवाजी सैनिक स्कूल
पूना (1832), इन पब्लिक स्कूल
देहरादून (1935) आदि पब्लिक
स्कूलों की स्थापना की गयी।

सन 1929 में भारतीय

पब्लिक स्कूल कोणफेरन्स की स्थापना की गयी।

पब्लिक स्कूलों की विशेषताएँ

① वित्तीय व्यवस्था

यह स्कूल वित्तीय दृष्टि से आत्मनिर्भर होती है। छात्रों से फीस बहुत अधिक ली जाती है जिससे स्कूल संबंधी व्यय को पूरा किया जाता है। राज्य प्रशासन से स्वतंत्र होने के कारण सरकारी अनुदान प्राप्त नहीं होता है।

② आवासीय व्यवस्था

प्रत्येक पब्लिक स्कूल आवासीय होता है। प्रत्येक छात्र के लिए वर्ष भर छात्रावास में रहना अनिवार्य होता है। साथ ही सभी छात्रों के लिए एक सामान्य मेस में भोजन करना आवश्यक है।

③ समुचित बौद्धिक सुविधाएँ

पब्लिक स्कूलों के पास अच्छा भवन, शिक्षण सामग्री, खेल का मैदान, नाट्यशाला, घुड़सवारी आदि सभी सुविधाएँ उपलब्ध

होती है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों का सर्वांगीण विकास करना है।

④ स्कूल संगठन प्रशासन में स्वतंत्रता

ये स्कूल अपने कार्यों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। स्कूल का प्रबंध कार्य प्रबंध समिति द्वारा होता है। इसी के द्वारा अपने स्कूल संबंधी नियमों को बनाया जाता है।

⑤ योग्य अध्यापक

सभी अध्यापक योग्य तथा अपने विषय में पूर्ण निपुण होते है। सभी को उच्च वेतनमान प्रदान किये जाते है। और अन्य सभी सुविधाओं की उचित व्यवस्था होती है।

⑥ प्रवेश व्यवस्था

इन स्कूलों में प्रवेश पाना अत्यंत कठिन है। प्रवेश के लिए कई वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अधिकांश छात्र प्रारंभिक कक्षाओं में प्रवेश लेकर आगे की शिक्षा निरन्तर रखते हैं।

(7) शिक्षा का माध्यम

इन स्कूलों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होता है। तथा अंग्रेजी भाषा एवं साहित्यिक को अधिक महत्व दिया जाता है।

(8) सहगामी क्रियाओं का आयोजन

इन स्कूलों द्वारा सभी प्रकार की सहगामी क्रियाओं के आयोजन की व्यवस्था की जाती है। जिसमें स्कूल के प्रत्येक छात्र को किसी न किसी कार्यक्रम में भाग लेना अनिवार्य होता है। साथ ही कलात्मक, मानसिक तथा सांस्कृतिक क्रियाओं की भी व्यवस्था की जाती है।

पब्लिक स्कूल के गुण

(1) छात्रों के सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता है जिससे उसमें नेतृत्व तथा उत्तरदायित्व की भावना को समुचित विकास होता है।

(2) शिक्षा

27/1/14

(राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) का बाद का नोट)

⑥ नवोदय विद्यालय

देश के विभिन्न भागों के प्रतिभावान बच्चों को जिनमें से अधिकांश ग्रामीण होंगे, प्रत्येक जिले में एक नवोदय विद्यालय स्थापित किया जायेगा। इन विद्यालयों में नवाचार व प्रयोग की पूर्ण सुविधा उपलब्ध रहेगी। इन विद्यालयों में कुल सीटों का पचहत्तर (75%) ग्रामीण और एक तिहाई छात्राएँ अभिभावकों की आयु सीमा के प्रतिबन्ध के बिना अध्ययन करेंगे।

⑦ माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण

1990 तक 10% तथा 1995 तक 25% प्रतिशत उच्च माध्यमिक विद्यार्थियों को व्यवसायिक पाठ्यक्रम उपलब्ध कराया जायेगा। कार्यानुभव को शिक्षा का प्रत्येक स्तर पर आवश्यक तत्व के रूप में स्वीकार किया गया है। इसके लिए सुसंगठित एवं क्रमिक कार्यक्रम विद्यार्थियों की रुचियों, योग्यताओं तथा स्तर की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर आयोजित किये जायेंगे।

Page No. 2

8. उच्च शिक्षा एवं खुला विश्वविद्यालय

① उच्च शिक्षा कार्यक्रम को विशेषज्ञता की माँग को ध्यान में रखते हुए पुनर्गठित किया जायेगा। विश्वविद्यालयों में शोध के लिए अधिक सहायता उपलब्ध करायी जायेगी।

② 1985 में स्थापित राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय को समृद्ध किया जायेगा।

9. प्रौढ़ शिक्षा

निरक्षरता उन्मूलन में छात्रों, अध्यापकों, युवाओं, स्वैच्छिक संगठनों और नियोजन कर्ताओं का सहयोग लिया जायेगा। साक्षरता कार्यक्रमों द्वारा प्रौढ़ शिक्षा के सामान्य एवं आवश्यकता व रुचि पर आधारित व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जायेंगे।

10. कम्प्यूटर साक्षरता

कम्प्यूटरों की सर्व व्यापक यंत्र के रूप में मान्यता एवं महत्व की दृष्टि से इनके बारे में ज्ञान और प्रशिक्षण व्यवसायों की शिक्षा का आवश्यक अंग होगा। कम्प्यूटर साक्षरता कार्यक्रम विद्यालय स्तर से ही व्यापक स्तर पर चलाये जायेंगे।

11. तकनीकी एवं प्रबंध शिक्षा

तकनीकी और प्रबंध शिक्षा संस्थाओं को आधुनिकतम अधिगम सुविधाओं, पुस्तकालय एवं कम्प्यूटर से सज्जित किया जायेगा। पर्याप्त छात्र वास सुविधाएँ, विशेषकर छात्रों के लिए उपलब्ध करायी जायेगी। तकनीकी संस्थाओं और उद्योग, शोध एवं विकास संस्थाओं ग्रामीण एवं समुदाय विकास कार्यक्रमों तथा शिक्षा के पृथक क्षेत्रों के मध्य जाल प्रणालियाँ स्थापित की जायेगी।

12. मूल्यों की शिक्षा

सार्वभौमिक प्रकृति के मूल्यों की शिक्षा जो व्यक्तियों की समानता एवं एकता पर बल देकर अंधकार, धर्मान्धता, अंधविश्वास के उन्मूलन में सहायक होगी, इसलिए इन पर बल दिया जायेगा।

1/14 मंगलवार 13. गणित एवं विज्ञान शिक्षण

गणित [illegible]

तकनीकी उपकरणों के अनुरूप पुन[illegible] जाएगा। विज्ञान शिक्षा कार्यक्रम इस[illegible] तैयार किए जाएंगे कि वह अध्येता[illegible]

में समस्या-समाधान, निर्णय क्षमता तथा विज्ञान के स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग तथा जीवन के अन्य पक्षों से संबंध के बारे में योग्यता उत्पन्न कर सके।

पाठ्य पुस्तकों की गुणवत्ता

पुस्तकों की गुणवत्ता में सुधार, सृजनात्मक लेखन को प्रोत्साहन, लेखकों के हितों की रक्षा के साथ, सभी शिक्षा [illegible]थाओं में पुस्तकालय की व्यवस्था और [illegible]कालयाध्यक्षों के स्तर में सुधार किया जाए।

[illegible]कूद, और शारीरिक शिक्षा एवं समाज सेवा

खेलकूद और शारीरिक [illegible]को अधिगम क्रिया का अंग माना गया है [illegible] विकास के लिए हर संभव प्रयत्न किए [illegible]। क्रीड़ास्तर, उपकरण, शिक्षण, छात्रावास [illegible]शाली बच्चों को प्रोत्साहन, देशी-एवं [illegible]गत खेलों का विकास, योग्य शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी।

विद्यार्थियों को राष्ट्रीय [illegible]ा योजना (NSS) या NCC में से एक में भाग लेना आवश्यक होगा।

16. परीक्षा प्रणाली

परीक्षा प्रणाली में सही प्रकार से मूल्यांकन करनी चाहिए। परीक्ष प्रणाली अत्यन्त सरल और स्पष्ट होनी अंकों के स्थान पर grade तथा माध्य स्तर से ही क्रमिक रूप में semester लागू की जाएगी।

17. शिक्षक

शिक्षकों की चयन विधि वस्तुनिष्ठता तथा व्यावहारिक वाँछनी दृष्टि से पुनर्गठित किया जाएगा मूल्यांकन प्रणाली सहभागिकता आधारित होगी। वेतन, सेवा शर्तों के अवसरों में वृद्धि के साथ के आदर्शों के अनुसार अ के लिए वह अनिवृत्ति के लिए व्यवस्था होगी। शिक्षकों के आचार संहिता निर्मित की जाए अनुपालन सुनिश्चित की जाएगी

18. अध्यापकों की शिक्षा

अध्यापक कार्यक्रम, निरंतरता शिक्षा और नई नीति में प्रस्तावित विशिष्टताओं का करने की आवश्यकता पर बल देंगे। वि

शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की जाएगी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) की अध्यापक शिक्षा संस्थाओं के प्रमाणीकरण के लिए आवश्यक साधन एवं क्षमता प्रदान की जाएगी।

शिक्षा का विकेन्द्रीकरण

शिक्षा का विकेन्द्रीकरण के शैक्षिक संस्थानों में स्वायत्तता की ...वना विकसित की जाएगी। प्रांतीय सरकारें ...ीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के अनुसार ...य शिक्षा बोर्ड स्थापित कर सकती है। ... माध्यमिक शिक्षा तक की व्यवस्था ...ए जिला बोर्ड निर्माण की जायेंगे।

...य शिक्षा सेवा

शिक्षा को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य ... करने व उचित प्रबन्ध एक रूप व ढाँचे ...कास के लिए भारतीय शिक्षा सेवा ...पित की जाएगी।

...क्षा की अर्थ व्यवस्था

शिक्षा क्षेत्र में अन्तर्गत आर्थिक व्यवस्था को भी स्थान दिया गया है

आर्थिक व्यवस्था के कारण शिक्षा का क्षेत्र सही ढंग से विस्तार रूप से विकास होगा। इसलिए सरकार को भी शिक्षा के क्षेत्र में आर्थिक सहायता करनी चाहिए।

१२. क्रियान्वयन एवं समीक्षा

नई शिक्षा नीति के [illegible]न्वयन एवं आयामों की समीक्षा प्रत्येक [illegible] वर्ष के बाद अवश्य की जाएगी। स[illegible] पर शिक्षा के क्षेत्र में कार्यान्वयन प्र[illegible] विकसित कार्यों का पता लगाने के [illegible] किए जायेंगे।

निष्कर्ष

उपर्युक्त प्रावधानों [illegible] स्पष्ट है कि नई शिक्षा नीति [illegible] संकल्प है। जो वर्तमान [illegible] में [illegible] इच्छा शक्ति का परिणाम है। [illegible] नीति का उद्देश्य शिक्षा को [illegible] बनाना है जिसके द्वारा सबको [illegible] मिल सके। वस्तुत: नई शिक्षा [illegible] लक्ष्य वर्तमान शिक्षा प्रणाली को [illegible] करके इसमें संशोधन करना व[illegible] देना है।

रचनात्मक बुद्धि के विकास का माध्यम बन सके और ज्ञान का ऐसा आधार बन सके जिसके आधार पर जीवन पर्यन्त निर्माण किया जा सके।

~~आचार्य राममूर्ति समिति 1990 द्वारा माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण के लिए दिये गये सुझाव।~~

व्यवसायिक शिक्षा की समस्याएँ और उनके समाधान

1. समस्या: हस्तकार्य के प्रति अनुचित दृष्टिकोण

प्राविधिक एवं व्यवसायिक शिक्षा में हस्तकार्य का मुख्य स्थान है। अतः हम इस कार्य को करके ~~अपने~~ अपने और ~~उनके~~ अपने परिवार के सम्मान का परिहार नहीं करना चाहते है। हमारे दृष्टिकोण को कोठारी कमीशन ने निम्नलिखित शब्दों में अंकित किया है- "दुर्भाग्य से अभी भी व्यापक रूप में यह अनुभव किया जाता है कि व्यवसायिक शिक्षा है।"

समाधान :- दृष्टिकोण में परिवर्तन

इस समस्या का समाधान करने के लिए हस्तकार्य के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन किया जाना आवश्यक है। यह तभी संभव है, जब सरकार और कर्मठ समाज

सेवक एवं देश व्यापी आन्दोलन प्रारं करे, और नवयुवकों में जागृति उत्पन्न करे।

② समस्या :- सामान्य व प्राविधिक शिक्षा में स्पष्ट अन्तर
हमारे प्राविधिक शिक्षा संस्थाओं में सामान्य और प्राविधिक की शिक्षा का स्पष्ट अन्तर किया जाता है ये संस्थाएँ केवल प्राविधिक शिक्षा को महत्व देती है और मानवीय पहलु की पूर्ण उपेक्षा करती है। अत इनमें प्रदान की जाने वाली शिक्षा एकांकी है। वह कुशल शिल्पकार या इंजिनियर का निर्माण तो करती है, पर श्रेष्ठ मानव का नहीं।

समाधान :- सामान्य व प्राविधिक शिक्षा का उचित मिश्रण

इस समस्या का समाधान करने का सर्वोत्तम उपाय यह है कि प्राविधिक एवं सामान्य शिक्षा में विभाजन की स्पष्ट रेखा न खींची जाय। वस्तुत: ये दोनों एक दूसरे से भिन्न न होकर, शिक्षा प्रक्रिया के दो रूप है।

③ समस्या : दोषपूर्ण पाठ्यक्रम

~~व्यवसायिक~~ हमारी

प्राविधिक एवं व्यवसायिक शिक्षा संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में दो मुख्य दोष हैं, संकीर्णता एवं समरूपता। उनमें व्यापकता और विविधता, बहु चयनता और बहुउद्देशीयता का पूर्ण अभाव है। उनका निर्माण छात्रों की विभिन्न रुचियों एवं उद्योगों की विभिन्न आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर नहीं किया जाता है। अतः वे छात्रों और उद्योग दोनों के लिए अहित और अनुपयोगी एवं अनुपयुक्त है।

समाधान :- **विविध व संशोधित पाठ्यक्रम**

1. पहला सुझाव यह है कि पाठ्यक्रम में अधिक से अधिक विभिन्न विषयों को समाविष्ट करके उसे विविधता का गुण प्रदान किया जाय। इस प्रकार के पाठ्यक्रम से छात्रों को अपने रुचियों एवं क्षमताओं के अनुसार विषयों को चयन करने का अवसर सुलभ हो जाएगा।

दूसरा सुझाव यह है कि देश के विभिन्न उद्योगों की मांग पर ब सतर्कता से अध्ययन करने के पश्चात पाठ्यक्रम में समय समय पर संशोधन किया जाय।

4. समस्या : **शिक्षा का अनुपयुक्त माध्यम**

देश के समस्त प्राविधिक विद्यालयों का पाठ्यक्रम अभी तक अंग्रेजी बना हुआ है। यह आशा की जाती है कि आगे भी कुछ समय तक यही दशा रहेगी। अतः एक जटिल प्रश्न है।

समाधान :- कुछ सुझाव

भाषा के माध्यम का सरकार को शीघ्र ही निर्णय कर लेना चाहिए। यथासंभव समस्त उच्च शिक्षा का माध्यम राष्ट्रभाषा हो। ऐसा करने के लिए पारिभाषिक शब्दों का निर्माण करना आवश्यक है। अंग्रेजी की पूर्ण उपेक्षा करना भी ठीक नहीं। प्राविधिक संस्थाओं में अंग्रेजी को दूसरे अनिवार्य विषय के रूप में रखा जाय।

5. समस्या : प्राविधिक तथा व्यवसायिक विद्यालयों का अभाव

स्वतंत्रता के पश्चात देश में अनेक व्यवसायीक तथा प्राविधिक विद्यालयों की स्थापना हो चुकी थी। परन्तु व्यापक माँग को देते हुए संस्थाएँ

अत्यन्त अल्प है। आजकल शिक्षा प्राप्त नवयुवकों में प्राविधिक शिक्षा प्राप्त करने की विशेष इच्छा है, परन्तु उन्हें विद्यालयों की कमी के कारण प्रवेश नहीं मिल पाता।

समाधान :- कुछ सुझाव

हमारे देश में इस समय उच्च प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक विद्यालयों की संख्या कम है। देश की विशाल जनसंख्या को देखते हुए यह संख्या अत्यन्त अल्प है। सरकार का कर्तव्य यह है कि वह इस दिशा में शीघ्र ही कदम उठाए। विभिन्न स्तर की प्राविधिक तथा व्यवसायिक संस्थाओं की स्थापना उचित मात्रा में की जाय।

6. समस्या : योग्य अध्यापकों का अभाव

व्यवसायिक और प्राविधिक विद्यालयों की वृद्धि के साथ-साथ योग्य अध्यापकों का भी अभाव बढ़ता जा रहा है। योग्य अध्यापकों के अभाव के कारण प्राविधिक शिक्षा के स्तर को अधिक आघात पहुँच रहा है। इसका प्रमुख कारण अध्यापकों का अल्पवेतन है

समाधान : कुछ सुझाव

उपर्युक्त समस्या का हल

करने के लिए आवश्यक है कि व्यवसायिक और प्राविधिक विद्यालयों के अध्यापकों के वेतन में सुधार किया जाए। उन्हें आवास आदि की सुविधा भी प्रदान की जानी चाहिए।

आचार्य राममूर्ति समिति 1990 द्वारा माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण के लिए दिए गए सुझाव

① विद्यालयों में यह संभव होना चाहिए कि भाषा, गणित तथा विज्ञान जैसे विषयों वाले व्यवसायिक कोर्स विद्यार्थियों को प्रदान किए जा सके।

② किसी खास व्यवसायिक पाठ्यक्रम को लेने वाले छात्रों को यह भी सुविधा मिलनी चाहिए कि वे विशेष पाठ्यक्रमों को पढ़ाने का लाभ उठा सके।

③ विद्यालयों में निःसन्देह विषय तथा शिक्षण विधि दोनों ही स्तरों पर व्यवसायिक तथा अव्यवसायिक विषयों को साथ साथ पढ़ाया जा सके।

④ विद्यालयों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को भी व्यवसाय पाठ्यक्रम सुलभ बनाकर पढ़ाना चाहिए।

⑤ शिक्षा को कार्यजगत की निर्माण होनेवाले

समस्याओं के साथ समायोजित किया जाना है।

6. व्यवसायिक शिक्षा कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 तथा कार्य योजना के अनुसार इस रूप में तैयार किया गया है कि इसके कार्यान्वित से संगठित क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुशल-ताओं तथा जनशक्ति का विकास हो सके।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 तथा व्यवसायीकरण की अवधारणा / विचार

व्यक्तिगत रोजगार का अवसर प्रदान करना, कुशल, जनशक्ति की माँग और पूर्ति के बीच असंतुलन को कम करना तथा उन लोगों के लिए वैयक्तिक व्यवस्था करना जो बिना किसी रुचि और उद्देश्य के उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं।

2. वृत्तियों, ज्ञान तथा कुशलताओं का प्रशिक्षण तथा रोजगार के लिए विकास हो।

3. सेतु पाठ्यक्रमों के माध्यम से व्यवसायिक स्नातकों को प्रदान की जाने वाली गतिशीलता का ज्ञान देना।

4. छात्रों के लिए विभिन्न व्यवसाय करने

13/2/2014
गुरुवार

के लिए तैयार करना।

जनशक्ति योजना (मानवशक्ति योजना)

प्रस्तावना:- भारतीय शिक्षा आयोग (1964-66) भारतीय शिक्षा ढाँचे में आवश्यक परिवर्तन करके यह उपयोगी बताया है कि दस वर्ष की सामान्य शिक्षा सभी को दी जाय। इसके उपरान्त +2 की शिक्षा ऐसी हो जो शक्ति को समाज के उत्पादक अंक के रूप में विकसित कर सके। इसप्रकार क्षमता होने पर बालक +2 की शिक्षा प्राप्त करके +3 की शिक्षा विश्वविद्यालय स्तर पर प्राप्त कर सकेगा, परन्तु +3 की शिक्षा ऐसी ही बालक प्राप्त करें जो विश्वविद्यालय की उच्च शिक्षा से लाभान्वित हो सकते है।

अतः - 10+2+3 शिक्षा व्यवस्था के सन्दर्भ जनशक्ति नियोजन के स्वरूप पर विचार करने के लिए यह उपयोगी होगा कि मानव शक्ति नियोजन, मानवीय साधन, आर्थिक तथा शैक्षिक विकास के लिए जनशक्ति आदि शब्दों के अर्थ को स्पष्ट समझ लें।

जनशक्ति का अर्थ
जनशक्ति विस्तृत अर्थ में मानवीय साधनों के अनुरूप मान्य की जा सकती है।
संकुचित अर्थ में जनशक्ति एवं प्रशिक्षण से कौशल का विकास किया गया हो। जैसे इंजिनियरिंग, Medical आदि क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति विज्ञान, व्यवसाय Engineering, Medical आदि क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति जनशक्ति के संकुचित अर्थों में शिक्षित एवं प्रशिक्षित किये जाते है। परन्तु विस्तृत अर्थों में जनशक्ति से तात्पर्य राष्ट्र की संपूर्ण जनसंख्या से रहता है। इस प्रकार विस्तृत अर्थ में राष्ट्र की जनशक्ति के अन्तर्गत भारत के शिक्षित, प्रशिक्षित, अर्थ अशिक्षित, और अशिक्षित आदि सभी प्रकार के व्यक्तियों का समावेश ही जनशक्ति है। मानवीय साधन। मानवीय साधन से तात्पर्य राष्ट्र की संपूर्ण जनसंख्या से है। इस प्रकार मानवीय साधनों के अन्तर्गत प्रशिक्षित तकनीकी शिक्षा प्राप्त, अप्रशिक्षित, कारीगर, आदि सभी का समावेश होता है।
इस प्रकार मानवीय साधन

मानव के कार्य संसार से संबंधित हो जाते है तथा किसी समाज या राष्ट्र में सभी व्यक्तियों की योग्यता, कौशल तथा ज्ञान विकास की प्रक्रिया को ही हम मानवीय साधन कह सकते है।

मानवीय साधन विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से राष्ट्र के व्यक्तियों या मानव के ज्ञान, कौशल तथा कार्य करने की क्षमताओं आदि का विकास किया जाता है।

इससे राष्ट्र की राजनैतिक प्रक्रिया में भी वे अधिक क्षमता से कार्यशील होते है।

आर्थिक एवं शैक्षिक विकास के लिए

<u>जनशक्ति</u>

राष्ट्र के आर्थिक एवं शैक्षिक विकास के लिए जनशक्ति विकास की भूमिका की ओर वर्तमान में संसार के विभिन्न देशों में अपेक्षाकृत अधिक ध्यान दिया जा रहा है। फलस्वरूप जन शक्ति को राष्ट्र के विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं गतिशील तत्वों के रूप में मान्य किया जाने लगा है।

इस दृष्टि से जनशक्ति नियोजन को आर्थिक एवं शैक्षिक विकास का अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं उपयोगी तत्व माना जाता है। वैसे तो हम विकास की कोई भी प्रक्रिया ले, उसका संबंध आवश्यक रूप से जनशक्ति, धन तथा अन्य बौद्धिक साधनों से हो जाता है। जनशक्ति नियोजन वास्तव में उत्पादक उद्देश्यों के लिए मानवीय संसाधनों को संलग्न करना तथा प्रशिक्षण देकर उचित रूप से विकसित करना है।

जनशक्ति का संबंध आर्थिक नियोजन से रहता है, राष्ट्रीय या अखिल विश्व स्तर पर यह सरकार द्वारा संचालित एवं व्यवस्थित गतिविधि रहती है तथा स्थानीय स्तर पर यह प्रोजेक्ट या कार्यक्रमों के रूप में व्यवस्थित गतिविधि रह जाती है।

• 10+2+3 के सन्दर्भ में जनशक्ति नियोजन

भारत मानवीय साधनों के अधिकता तथा वित्त के अभावों से पीड़ित राष्ट्र है। यहाँ जनसंख्या वृद्धि

अत्यन्त तीव्रगति से हो रही है। फल स्वरूप बेकारी बढ़ती ही जा रही है। यह बेकारी न केवल अकुशल कारीगरों तथा अनपढ़ व्यक्तियों की ही बढ़ रही है बल्कि कुशल कारीगरों, डॉक्टरों, इंजिनियरों आदि सभी में बेकारी बढ़ती ही जा रही है। इसके लिए आवश्यक है कि जनशक्ति नियोजन के द्वारा एक ओर तो राष्ट्र के व्यक्तियों को विकास कार्य क्रम के द्वारा उपयोगी कार्यों में संलग्न किया जाय तथा दूसरी ओर निम्न, मध्य एवं उच्च स्तरों पर विभिन्न योग्यताओं एवं क्षमताओं के विकास के लिए आवश्यक स्थितियों का निर्माण किया जाय।

10+2+3 की नवीन शिक्षा व्यवस्था अब देश के अनेक राज्यों में व्यवस्थित की जा रही है। इस नवीन व्यवस्था में यह मान्य किया गया है कि दस वर्षों की उत्तम सामान्य शिक्षा देश के सभी बालक बालिकाओं को उपलब्ध करायी जाएगी।

माध्यमिक स्तर पर शिक्षा पा रहे अधिक छात्र-छात्राओं को व्यवसायिक एवं तकनीकी शिक्षा में

समावेश किया जायेगा। यह व्यवस्था +2 स्तर पर होगी।

+3 स्तर पर साहित्यिक, सांस्कृतिक, व्यवसायिक, तकनीकी शिक्षा केवल वे ही छात्र-छात्राएँ प्राप्त करेंगे जो इसप्रकार की शिक्षा प्राप्त करने की योग्यता रखते है।

अत: 10+2+3 की शिक्षा योजना की नियोजन में शिक्षकों, बालकों, पालकों, शिक्षाविदों, शिक्षा प्रशासकों, राजनीतिज्ञों सभी को सह भागी बनाकर ऐसा कार्यक्रम व्यवस्थित करना होगा जो 10+2+3 के लिए व्यवस्थित शिक्षा संस्थाओं से हमारी वर्तमान एवं भावी आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं के अनुरूप मानवीय साधन शिक्षित एवं प्रशिक्षित कराने में सहायक हो।

इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि 10+2+3 शिक्षा योजना का क्रियान्वयन उचित हो तथा जनशक्ति नियोजन के अनुरूप इसमें व्यवस्था की जाय तो यह राष्ट्रीय विकास को गति देने वाली बन सकेगी, क्योंकि इसके द्वारा

भारत की व्यक्तियों की आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक आदि सभी क्षेत्रों में स्वाभाविक शक्तियाँ विकसित होगी

जनशक्ति नियोजन का उद्देश्य

1. बेरोजगारी को दूर करना।
2. मानवीय साधनों का बहुमुखी विकास करना।
3. देश के अच्छे नागरिकों का निर्माण करना।
4. प्रजातंत्र में भाग लेने वाले देश के शिक्षित नागरिकों का निर्माण करना।
5. सामाजिक व सांस्कृति दृष्टि से सामाजिक गुणों से युक्त जनसंख्या का विकास करना।
6. जनता में उनके अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति जागरुकता लाना।

ईश्वर भाई पटेल समीक्षा समिति - 1977

प्रस्तावना :- 1968 के राष्ट्रीय शिक्षा में ही यह उल्लेख था कि प्रत्येक पाँच वर्ष के पश्चात भारत सरकार शिक्षा की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करेगी। इस प्रकार की अभी तक कोई समीक्षा नहीं हुई थी।

इसलिए आवश्यक हुआ कि कोठारी कमीशन द्वारा दिए सुझावों पर पुन: विचार हो। भारत सरकार की केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थाई समिति ने यह भय प्रकट किया कि पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिए पर्याप्त मात्रा में धनराशी की व्यवस्था नहीं की गई है और यह भी भय व्यक्त किया कि कहीं पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में स्थिति और भी शोचनीय न हो जाय। इस कारण शैक्षिक नीति की समीक्षा की आवश्यकता और ही बढ़ गई।

समीक्षा समिति का गठन : मार्च 1977 में

जनता सरकार की स्थापना के पश्चात यह अनुभव किया गया कि शिक्षा के नए ढाँचे अर्थात 10+2 के बारे में पुन: विचार किया जाय। इसी बात को सामने रखकर इस समय के शिक्षा मंत्री महोदय डॉ. ईश्वरभाई पटेल, उपकुलपति, गुजरात विश्वविद्यालय (अहमदाबाद की) अध्यक्षता में एवं समीक्षा समिति का गठन किया। जिसका मुख्य लक्ष्य अथवा उद्देश्य राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा बनाए गए पाठ्यक्रम

5/2/11 शिक्षा के व्यवसायिकरण की आवश्यकता

1. मनोवैज्ञानिक कारण
2. सामाजिक एवं आर्थिक कारण
3. दार्शनिक कारण

व्यवसायिकरण के उपयोग

व्यवसायिकरण के आधार

व्यवसायिकरण की विशेषताएँ

व्यवसायिकरण के धीमी प्रगति के कारण

आचार्य राममूर्ति समिति – 1990 तथा व्यवसायीकरण

(*) आचार्य राममूर्ति समिति द्वारा माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायिकरण के लिए दिये गये सुझाव

अनुभव, कमाई, सृजन, श्रमिक,
शिक्षा संस्थान संस्थाओं, कार्य व्यवसाय पर
प्रगति, समाज, परिवार सभी का विकास हो सकता

1986 व्यवसायीकरण की अवधारणा
छात्र में कुशलता एवं रुचि उत्पन्न कर सकते है।

सेतु – bridge
नींव – base
विचार प्रस्तुत किया।

व्यवसायिक शिक्षा की समस्याएँ और उनके समाधान

1. समस्या :- हस्तकार्य के प्रति अनुचित दृष्टिकोण
समाधान :- दृष्टिकोण में परिवर्तन।

2. समस्या :- सामान्य शिक्षा और ~~प्राव~~ प्राविधिक शिक्षा (Technological education) में स्पष्ट ~~में~~ अन्तर (B.A. B.Sc. B.com)
समाधान :- सामान्य व प्राविधिक शिक्षा का उचित मिश्रण

2/14

3. समस्या :- दोषपूर्ण पाठ्यक्रम
समाधान :- विविध ~~के~~ व संशोधित पाठ्यक्रम

4. समस्या :- शिक्षा का अनुपयुक्त माध्यम
समाधान :- कुछ सुझाव देना।

~~5. प्राविधिक~~

5. समस्या :- प्राविधिक तथा व्यवसायिक विद्यालयों [का] अभाव
समाधान :- प्राविधिक तथा व्यवसायिक विद्या[लयों की] स्थापना करना (कुछ सुझाव)

6. समस्या :- योग्य अध्यापकों का अभाव
समाधान :- योग्य अध्यापकों की नियुक्ति

Q.2 अध्यापक प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्रकार

भारत वर्ष में अध्यापक शिक्षा से संबन्धित विभिन्न स्तरों पर निम्नलिखित प्रकार की संस्थाएँ प्रचलित है।

① पूर्व प्राथमिक प्रशिक्षण संस्थाएँ

पूर्व प्राथमिक स्तर के अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भारत वर्ष में अनेक संस्थाएँ मॉडेसरी, किण्डरगार्डन, नेर्सरी, पूर्व नेर्सरी, पूर्व बेसिक शिक्षा तथा बालवाडी शिक्षक प्रशिक्षण आदि नामों से कार्य कर रही है। किन्तु इस स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्थाएँ अधिकांश रूप से मोंडेसरी, किन्टरगार्डन तथा नेर्सरी पद्धति से प्रशिक्षण प्रदान करती है। पूर्व प्राथमिक स्तर के अध्यापकों को इनमें प्रशिक्षित किया जाता है तथा प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष की होती है।

② प्राथमिक प्रशिक्षण विद्यालय

इन विद्यालयों का संचालन स्थानीय बोर्डों, वैयक्तिक प्रबन्धकों एवं राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। वर्तमान समय में हमारे देश में प्राथमिक विद्यालय दो प्रकार के है।

बुनियादी, और बुनियादी। अतः इन विद्यालयों में कार्य करने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए दो प्रकार की प्रशिक्षण संस्थाएँ हैं।

1. नोर्मल स्कूल
2. बेसिक ट्रेनिंग स्कूल
3. उपस्नातकों के लिए माध्यमिक प्रशिक्षण विद्यालय।

इनमें मिडिल स्कूलों के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इनमें प्रशिक्षण की अवधि कुछ राज्यों में एक वर्ष की और कुछ राज्यों में दो वर्ष की है। इनमें उपस्नातकों अर्थात् हैस्कूल एवं इंटर मिडियेट पास व्यक्तियों को प्रवेश दिया जाता है।

4. स्नातकों के लिए प्रशिक्षण महाविद्यालय

इनमें हाईस्कूलों और Higher secondary school ओं के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इनमें प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष की है। और स्नातकों को प्रवेश दिया जाता है। इनमें अध्ययन करने वाले छात्राध्यापकों को बी.एड की उपाधि या प्रमाण पत्र दिया जाता है।

⑥ शिक्षा के राज्य संस्थान

तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत भारत में लगभग प्रत्येक राज्य एवं दिल्ली में शिक्षा के राज्य संस्थान खोले गये। भारतीय शिक्षा मंत्रालय इन संस्थाओं के कार्य का वहन करता है।

① शिक्षा संस्था संबंधी शोध कार्य करना
② क्षेत्रीय कार्य करना।
③ शिक्षा का विस्तार करना।
④ पुस्तकों का प्रकाशन करना।
⑤ अध्यापकों को प्रशिक्षण देना।
⑥ पत्राचार पाठ्यक्रम केन्द्र
⑦ अप्रशिक्षित अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के लिए भारतीय सरकार द्वारा दिल्ली में पत्राचार पाठ्यक्रम निदेशालय (1962) की स्थापना की और 1966 ई. में माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अप्रशिक्षित अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भुवनेश्वर, अजमेर, मैसूर भोपाल, दिल्ली आदि पत्राचार पाठ्यक्रम केन्द्रों की स्थापना की गई। उपर्युक्त महाविद्यालयों के अतिरिक्त वर्तमान समय अधिक महाविद्यालय में पत्राचार पाठ्यक्रम चल रहा है।

विशेष विषय प्रशिक्षण संस्थाएँ

इन केन्द्रों का उद्देश्य व्यक्तियों को विशेष विषयों में प्रशिक्षण देना है। इस समय भारत में निम्नांकित विषयों के प्रशिक्षण केन्द्र है। जैसे - शारीरिक शिक्षा, ललित कलाओं की शिक्षा, गृह विज्ञान की शिक्षा, शिल्पों की शिक्षा भाषा अध्यापकों की शिक्षा और विज्ञान की शिक्षा आदि।

8. सेवाकालीन अध्यापक प्रशिक्षण

हमारे देश में ऐसे अप्रशिक्षित अध्यापकों और अध्यापिकाओं की संख्या बहुत है जो लम्बे समय से स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ा रहे है। परन्तु परिस्थिति वश अभी तक अध्यापक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर सके हैं इनके अतिरिक्त ऐसे अध्यापक भी बहुत है जो वर्षों पहले प्रशिक्षण ले चुके है। अतः ऐसे सेवारत अध्यापकों के लिए भी अनिवार्य पाठ्यक्रमों की आवश्यकता है ताकि वे नवीन ज्ञान और शोध कार्यों से परिचित होकर शिक्षण कार्य अधिक सफलता से कर सके। इस व्यवस्था के लिए निम्नलिखित केन्द्र कार्य कर रहे हैं।

1. अंशकालीन पाठ्यक्रम

Correspondance course
2. पत्रचार पाठ्यक्रम

3. ग्रीष्मावकाश पाठ्यक्रम

4. अभिनव पाठ्यक्रम
Refreshment course.

5. गोष्ठियाँ आदि

कुछ प्रशिक्षण केन्द्रों एवं विश्वविद्यालयों द्वारा अध्यापक शिक्षा के उपर्युक्त पाठ्यक्रम चलाये गये है।

(i) शिक्षा के क्षेत्रीय महाविद्यालय

देश में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद् द्वारा अजमेर, मैसूर, भोपाल एवं भुवनेश्वर में चार क्षेत्रीय महाविद्यालय शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्य कर रहे है।

(ii) ~~सेवापूर्व एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण~~

यही सेवापूर्वक शिक्षण प्रशिक्षण है।

सेवाकालीन शिक्षण प्रशिक्षण का अर्थ

जिन्होंने सेवापूर्व प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिए दिया है और सेवारत है उनको भी ऐसे कार्यक्रम में भाग लेना होता है। जिससे उनका व्यक्तिगत और व्यवसायिक विकास होता है। ऐसे कार्यक्रम को सेवाकालीन कार्यक्रम कहते है। सेवाकालीन शिक्षण क्रियाकलापों का ऐसा कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य सेवारत शिक्षकों का व्यवसायिक विकास तर्क बनाये रखना है। इस कार्यक्रम के द्वारा नवीन ज्ञान, अपेक्षित वृत्तियों और नई रुचियों का विकास होता है।

अतः शिक्षकों को सेवा काल में शिक्षा संबंधी नवीन तथ्यों, विधियों सिद्धान्तों आदि से परिचित कराके, उसकी व्यवसायिक दक्षता एवं कुशलता में वृद्धि की जाती है। शिक्षा के इसी पक्ष को सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा का नाम दी गई है।

सामने आये है। साथ ही साथ इन व्यवसायों के अपने क्षेत्र, सीमाएँ तथा विशेषताएँ भी निश्चित होती जा रही है। भारत में शिक्षण व्यवस्था में विभिन्न व्यवसाय में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में विकसित हुआ है। यह व्यवसाय प्राचीनतम इतिहास साथ लिये हुई है जिसके द्वारा इस व्यवसाय को आधुनिक समाज संबंधी कार्यों के निर्माण का भार अपने ऊपर लेकर एक नवीन समाज की स्थापना करनी होगी।

शिक्षण मानव निर्माण का व्यवसाय है इसप्रकार टी.एम स्टेनेइट इसकी महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि शिक्षण न केवल एक व्यवसाय है अपितु यह सभी व्यवसायों की जननी है।"

अतः स्पष्ट रूप में कहा जा सकता है कि शिक्षण व्यवसाय अन्य सभी व्यवसायों में सर्वोपरि व्यवसाय माना जाता है। इसलिए कहा गया है कि "शिक्षण व्यवसाय सब व्यवसायों में उत्तम है जबकि सबसे दयनीय व्यापार है।"

इससे इस व्यवसाय के नैतिक स्तर का पता चलता है। वास्तव में शिक्षण एक सामाजिक व नैतिक कार्य है इस व्यवसाय में शिक्षक जीवन भर एक छात्र रहता है।

भारत में शिक्षण व्यवसाय की स्थिति

भारत में शिक्षण कार्य प्राचीन काल से चला आ रहा है। गुरु का स्थान राजा से ऊँचा माना जाता था गुरु इस व्यवसाय को एक सेवा के रूप में स्वीकार करते थे परिश्रम ईमानदारी पूर्ण लगन से शिक्षण कार्य संपन्न किया जाता था। शिक्षण कार्य को सर्वोपरि माना जाता था। शिक्षा सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप प्रदान की जाती थी। और इसका संबंध वास्तविक जीवन से होता था। इसीलिए शिक्षण कार्य को नैतिक व सामाजिक कार्य समझा जाता था।

वर्तमान स्थिति

वर्तमान समय में शिक्षण व्यवसाय सभी व्यवसायों में बड़ा है। आज व्यवसाय की दशा बड़ी सोचनीय है। अतः शिक्षण व्यवसाय की आज यह दुर्भाग्य पूर्ण स्थिति है। इससे संपूर्ण

शाख का क्षति हो रही है। इसमें दोष किसी एक का न होकर हम सभी का है। इसलिए इस गंभीर समस्या पर ध्यानपूर्वक विचार विमर्श करना होगा। शिक्षण प्रक्रिया में परिवर्तन की आवश्यकता है। इसके लिए हम सबको निस्वार्थ होकर लगन से प्रयत्न करने चाहिए ताकि हमारे सरकार इस व्यवसाय की खोई भी गरिमा को फिर से लाने में समर्थ हो सके।

बुद्धि (व्यवसाय के गुण)

कोई भी बुद्धि एक व्यवस्थित ज्ञान पर आधारित होती है, न कि कुछ कौशलों को प्राप्त करने के लिए। अत: व्यवसाय का बौद्धिक आधार पक्का होना चाहिए।

② शिक्षक को एक दीर्घकालीन व्यवसायिक और व्यवहारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। परन्तु देखा गया है कि डॉ Engineer की तुलना में शिक्षक का प्रशिक्षण कम होता है।

3 शिक्षक के लिए यह काफी नहीं की उसे क्या पढ़ाना है बल्कि यह भी जानना है कि किस प्रकार पढ़ाना है और किसको

बढ़ाता है। किसी भी वृद्धि में उसके व्यक्तियों या सदस्यों की सेवाकालीन शिक्षा द्वारा विकास व अभिवृद्धि होती है। विचार गोष्ठी सेमिनार व अन्य सेवाकालीन प्रशिक्षण द्वारा शिक्षक वृत्ती में ज्ञान को नवीन व पूर्ण बनाया जाता है।

(4) किसी भी व्यवसाय का एक सुदृढ़ संगठन होता है जो उसके सदस्यों की सामाजिक व आर्थिक हितों की रक्षा करता है तथा व्यवसायिक गुणवत्ता में भी सुधार करता है।

(5) एक अच्छे वृत्ति में आचार संहिता का होना आवश्यक है। जिसका पालन उसके सदस्य करते है। आचार संहिता वृत्ति मैर्यादा अनुशासन, कर्तव्य परायणता तथा नैतिक जिम्मेदारी के लिए आवश्यक है। कई विद्यालयों में लिखित आचार संहिता का पालन करवाया जाता शिक्षक द्वारा। शिक्षा के हर स्तर के लिए कोई आचार संहिता निश्चित नही की गई है। उपर्युक्त मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए यह प्रतीत होता है कि अध्यापन को एक अच्छी वृत्ति

के रूप में जाना आवश्यक है।

इस क्षेत्र में निम्न रुकावटें है

1. व्यवसायिक क्षेत्र तथा प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए निश्चित निम्नतम योग्यता का होना आवश्यक है।
2. अध्यापन क्षेत्र में वेतन कम और निश्चितता ज्यादा है।
3. योग्यता व क्षमता के तुलना में व्यक्ति को महत्व दिया जाता है। अध्यापक वर्ग संगठित नहीं है।
4. राजनैतिक वर्ग अपने स्वार्थ के लिए अध्यापन वृत्ति को प्रभावित करते है।
5. इस वृद्धि में स्वायत्ता कम है
6. एक सुदृढ और शक्तिशाली संगठन की कमी है।

शिक्षक की आचार संहित (शिक्षकों के लिए आचार संहिता)

26/3/2014

अध्यापन वृत्ति में गुणात्मकता एवं नैतिकता का स्तर बनाये रखने के लिए शिक्षक समुदाय को आचार संहिता का पालन करना चाहिए। किसी भी व्यवसाय के किसी

सदस्य से किस प्रकार के व्यवहार एवं स्तर की आशा की जाती है उसे आचार संहिता से संबोधित किया जाता है। आचार संहिता में किसी व्यक्ति को किस प्रकार के कार्य करने चाहिए और किस प्रकार के नहीं इसका उल्लेख होता है। इसका अर्थ किसी व्यक्ति को सजा देना नहीं है बल्कि उसे सही दिशा दिखाना तथा पतन से रोकना है। सरकारों ने आचार संहिता का निर्माण किया अमेरिका के राष्ट्रीय शिक्षक संघ ने 1929 में शिक्षक आचार संहित को अपना लिया था। युनस्को ने भी एक शपथ पत्र बनाया है।

आचार संहिता का एक प्रारूप निम्न है-

प्रत्येक शिक्षक

1. अपने कर्तव्यों व संस्था के प्रधान द्वारा सौंपे गये कार्य के प्रति नियमित रहेगा।
2. संस्था के नियमों का पालन करेगा तथा संस्था का आदार करेगा।
3. जानबूझकर अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाह नहीं होगा।
4. संस्था के प्रधान की बिना अनुमति से

कर्तव्यों से अनुपस्थित नहीं होगा। बिना छुट्टी के अनुपस्थित नहीं रहेगा।
(5) कक्षाकार्य तथा गृहकार्य जाँचने में लापरवाह नहीं होगा।
(6) परीक्षा में अथवा अन्य विद्यालय कार्य कलाप में गैर कानूनी हरकत को अवसर नहीं देगा।
(7) कानून के अलावा व्यक्तिगत ट्यूशन नहीं करायेगा।
(8) बिना नियुक्ता की अनुमति के किसी पुस्तक या गैसड का प्रकाशन नहीं करेगा।
(9) किसी भी विद्यार्थी को जातिवाद, सम्प्रदायवाद, अस्पर्शता अथवा क्षेत्रवाद आदि की प्रवृत्ति के लिए प्रेरित नहीं करेगा और स्वयं भी ऐसा नहीं करेगा।
(10) स्वयं या किसी भी व्यक्ति को विद्यालय की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुँचाने देगा।
(11) राजनैतिक दल का सदस्य नहीं होगा और नाहि किसी राजनैतिक दल में भाग लेगा।
(12) सरकार की नीति तथा कार्य के विरुद्ध किसी भी प्रकार की आलोचना, रेडियो, प्रेस तथा प्रकाशन के माध्यम से नहीं करेगा।

अतः जैसे ही शिक्षक कार्यभार ग्रहण करता है उसे आचार संहिता पालन करने की शपथ लेनी चाहिए।

राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद्

(NCTE)

राष्ट्रीय शिक्षा में (1986) यह कहा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद को शिक्षक शिक्षा संस्थाओं को स्थापित करने तथा पाठ्यचर्या तथा पद्धतियों के बारे में दिशा निर्देशन प्रदान करने के लिए आवश्यक संस्थान तथा क्षमता उपलब्ध करायी जायेगी।

राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद को शिक्षक शिक्षा प्रणाली के मार्गदर्शन में सक्षम बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के लिए 1986 में तैयार की गई कार्ययोजना में इसे संविधानिक स्थान प्रदान करने की परिकल्पना की गई। इसको संविधानिक स्थान प्रदान करने के लिए सन 1993 में एक अधिनियम बनाया गया। यह अधिनियम The National council for Teacher's Educatio Act 1993 के नाम से पुकारा जाता है। इस परिषद का मुख्यालय दिल्ली में स्थापित किया गया। इस act ने परिषद को यह भी

अधिकार प्रधान किया कि वह अपने क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित कर सकती है।

राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के उद्देश्य

राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद सन 1973 से कार्य कर रही है परन्तु यह नई चुनौतियों का सामना करने के लिए अध्यापक शिक्षा प्रणाली का मार्ग दर्शन नहीं कर सकी है। इसके गठन के कुछ कठिनाइयाँ प्रारंभ से ही विद्यमान रही है। इनका निवारण करने के लिए इसे एक स्वायत्त एवं सांविधानिक स्तर किये जाने की परिकल्पना की गई। तदनुसार राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद संबंधी एक विधेयक राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद को उत्तरदायी बनाने के निम्न लिखित उद्देश्यों के साथ संसद में प्रस्तुत किया गया।

अतः राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार प्रस्तुत है।

1. शिक्षक शिक्षा संस्थानों के लिए मानकों तथा मानदण्डों का निर्धारण ~~करना~~ अनुरक्षण और समन्वय करना।
2. अध्यापकों की सतत शिक्षा पर बल देना।

3. प्रशिक्षित कार्मिकों की माँग का पूरा करना।

4. शिक्षक शिक्षण संस्थाओं का प्रत्यापन और अप्रत्यापन करना।

राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् के कार्य

अधिनियम द्वारा परिषद के निम्नलिखित प्रमुख कार्य निर्धारित किये गये है।

① शिक्षक शिक्षा से विभिन्न पक्षों से संबंधित सर्वेक्षण एवं अध्ययन करना।

② देश में शिक्षक शिक्षा का विकास, नियंत्रण तथा समन्वय करना।

③ शिक्षक की नियुक्ति, चयन आदि के संबंध में मार्ग निर्देश प्रदान करना।

④ शिक्षक शिक्षा के व्यवसायीकरण को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाना।

⑤ शिक्षक विकास कार्यक्रमों के एक नवीन संस्थाओं की स्थापना करना।

⑥ शिक्षक शिक्षा के विभिन्न कोर्सों के लिए प्रवेश नियमों, चयन प्रक्रिया कोर्स की अवधि का निर्धारण कोर्स की विषय वस्तु आदि का निर्धारण करना।

⑦ शिक्षक शिक्षा संस्थाओं की स्वीकृति या संबंधीकरण से संबंधित नियमों का निर्धारण करना आदि।

राममूर्ति समिति तथा शिक्षक शिक्षा

राममूर्ति समिति के अनुसार वर्तमान शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम सिद्धान्त उन्मुख है। यह विद्यालय, कॉलेज तथा विश्वविद्यालय एवं समुदाय से पृथक है। इस कार्यक्रम में शिक्षण अभ्यास के लिए बहुत कम समय दिया गया है। यह परंपरागत एवं रूढ़िबद्ध है। शिक्षण अभ्यास विद्यालयों की वास्तविक स्थितियों से संबद्ध नहीं है। शिक्षक शिक्षा संस्थाओं के पास अपने प्रदर्शन या मॉडल स्कूल नहीं हैं। शिक्षकों की शिक्षा के लिए सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा की उपयुक्त व्यवस्था नहीं है। इस कार्यक्रम में मूल्यांकन पद्धति बड़ी ही दोषपूर्ण है। समिति ने शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम को सुधारने के लिए निम्नलिखित संस्तुतियाँ प्रस्तुत की है।

① शिक्षक शिक्षा की संस्थाओं में छात्रों का चयन मात्र विश्वविद्यालय अंकों या ग्रेडों पर नहीं किया जाना चाहिए। बल्कि यह अभिरुचि तथा उपलब्धि पर आधारित होना चाहिए।

(2) प्रशिक्षण कार्यक्रम दक्षता आधारित होना चाहिए।

(3) सिद्धान्त तथा अभ्यास विधि मूलक होना चाहिए।

(4) प्रशिक्षण कार्यक्रम में भावात्मक पक्ष को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया जाना चाहिए जिससे छात्रों में व्यवसाय के प्रति अभिरुचि, समाज के प्रति जागरूकता तथा मूल्यों का विकास हो सके।

(5) सेवाकालीन तथा अभिनव कोर्स शिक्षकों की विशिष्ट आवश्यकताओं पर आधारित होने चाहिए।

(6) ये कोर्स शिक्षक के भावी विकास पर आधारित किये जाने चाहिए।

(6) शिक्षक शिक्षा को उसकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुकूल से सेवा कालीन कोर्स अवश्य प्रदान करने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(7) शिक्षक शिक्षा की प्रथम उपाधि पत्राचार शिक्षा के द्वारा प्रदान नहीं की जानी चाहिए।

शिक्षक शिक्षा की समस्याएँ और उनकी
समाधान

उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए उचित निर्देशन प्रदान करना।
स्वास्थ्य जीवनयापन के लिए छात्रों को तैयार करना
छात्रों को विभिन्न बीमारियों के कारण एवं उनके रोग रोकथाम के उपाय को समझाना।
छात्रों में स्वास्थ्य एवं अच्छी आदतों का निर्माण करना।
आकस्मिक दुर्घटनाओं के दौरान प्राथमिक उपचार हेतु छात्रों को तैयार करना।
6. जन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से छात्रों को अवगत कराना।
7. छात्रों को शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों के स्वास्थ्य को उन्नत बनाने में सहायता प्रदान करना।

इस प्रकार स्वास्थ्य शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है बालक का सर्वांगीण विकास किन्तु स्वास्थ्य शिक्षा के कार्यक्रम तभी सफल हो सकते हैं जब विद्यालय के साथ अभिभावक भी अपना सहयोग प्रदान करें। साथ ही विद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी

इसे शिक्षा के महत्वपूर्ण अंग के रूप में मान्यता है। नाटक, फिल्म, प्रदर्शनि आदि अनौपचारिक उपागमों के माध्यम से भी स्वास्थ्य शिक्षा को प्रभावि एवं रोचक बना जा सकता है।

शारीरिक शिक्षा और योग

स्थानीय सामग्री - विद्यालय परिसर,
मुद्रित सामग्री
श्रव्य - दृश्य सामग्री
सरकारी प्रकाशन, वार्षिक प्रतिवेदन
पत्र-पत्रिकाओं, पुस्तकें, चार्ट, पोस्टर
आदि का उपयोग
नाटक, फिल्म, दूरदर्शन, रेडियो
प्रोजेक्टर, आदि साधनों
① कक्षा वाद - विवाद
② लघु सामूहिक प्रायोजन
③ क्षेत्रीय पर्यटन
यह एक प्रभावी शिक्षण विधि है
इसके माध्यम से छात्र प्रत्यक्ष अनुभव
प्राप्त करता है। इसका आयोजन सामूहिक
संसाधनों - स्थानीय बाजार, बैंक, डाकघर
फैक्टरी आदि के अध्ययन हेतु
किया जाता है।
④ बाह्य अध्ययन
⑤ प्रदर्शनियों का प्रयोग
⑥ अनुकरण तथा खेल